VISIONIAS

www.visionias.in

PT 365

Classroom Study Material

सामाजिक मुद्दे

JULY 2015 – APRIL 2016

NOTE: May 2016 and June 2016 current affairs for PT 365 will be updated on our website on second week of July 2016.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

A.महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे *5*

A.1. धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा 5

A.2. देवदासी प्रथा 6

A.3 तमिलनाडु में अर्चकों की नियुक्ति से सम्बंधित सर्वोच्च न्यायालय का विनिर्णय 6

A.4 वर्दीधारी सेवाएं एवं महिलाएं 7

A.5. नौसेना ने महिलाओं को स्थायी नियुक्ति प्रदान की 8

A.6. सशस्त्र बलों में महिलाऐं 8

A.7. लैंगिक असमानता – प्रादेशिक सेना 9

A.8. भ्रूण का लिंग परीक्षण 10

A.9. सरोगेसी (किराए की कोख) 10

A.10. उत्तराधिकारी के रूप में बेटी 11

A.11. पैतृक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार 12

A.12. दहेज हत्यायें 13

A.13. घरेलू हिंसा 13

A.14. महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध 14

A.15. महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु पैम राजपूत समिति 15

A.16. तिहरा तलाक 15

A.17. वीमेन ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया अभियान 16

A.18. महिला ई-हाट 16

A.19. सतत विकास लक्ष्य और महिलायें 17

A.20. भारत का पहला जेंडर पार्क 19

B. बच्चों से सम्बंधित मुद्दे *20*

B.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 20

B.2. बच्चों से बलात्कार के मामले में विशेष कानून की जरूरत (पॉस्को कानून की विफलता) 21

B.3 चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध 21

B.4. सतत विकास लक्ष्य (SDG) एवं शिशु 21

B.5. बालअमृतम् कार्यक्रम 23

B.6. किलकारी परियोजना 23

B.7.बच्चों से संबंधित UNICEF रैपिड सर्वेक्षण (2013-14) 24

C. वृद्ध / दिव्यांग *26*

VISION IAS

C.1.दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूनिवर्सल आईडी 26
C.2. भारत में विकलांगता 26
C.3. बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र 26
C.4. भारत में वृद्धों की बढ़ती संख्या 27
C.5. सुगम्य भारत अभियान 28
C.6. अनुभव 29
D. SC/ST/OBC *30*
D.1 सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 30
D.2. वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन का मुद्दा 33
D.3. राष्ट्रीय जनजातीय सलाहकार परिषद 33
D.4. व्यक्तियों द्वारा मैला ढोने पर नया कानून 34
D.5. संशोधित अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के लिए नियम 35
D.6 'बुल्टू रेडियो' प्रयोग 36
D.7. भारत में आरक्षण 36
E. शिक्षा *38*
E.1 शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अप्रभावी कार्यान्वयन 38
E.2 मिड-डे मील नियम, 2015 की अधिसूचना जारी 38
E.3 केरल 100% साक्षरता प्राप्त करना वाला पहला राज्य बना 39
E.4 भारतीय संस्थानों के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क 39
E.5 अटल नवोन्मेष मिशन 41
E.6 राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 41
E.7 शैक्षणिक नेटवर्क की वैश्विक पहल 42
F. स्वास्थ्य *43*
F.1.राष्ट्रीय डिवार्मिंग पहल 43
F.2. मलेरिया के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 43
F.3.पारंपरिक औषधि 44
F.4. एन.पी.सी.डी.सी.एस. (NPCDCS) के साथ होम्योपैथी/योग का एकीकरण 45
F.5.राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 45
F.6. एच.आइ.वी. एड्स 47
F.7. सूर्योदय परियोजना 48
F.8. इबोला महामारी का अंत 48

VISION IAS

F.9. मधुमेह 49
F.10. शहरी स्वास्थ्य पर वैश्विक रिपोर्ट 50
F.11. कमजोर स्वास्थ्य सुरक्षा आवरण : भारत में स्वास्थ्य रिपोर्ट 50
F.12.हेल्थ केयर सिस्टम :लांसेट रिपोर्ट 51
F.13.मानसिक स्वास्थ्य 52
F.14.मिशन इन्द्रधनुष का द्वितीय चरण 53
F.15.प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 54
F.16.राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) 54
F.17.राष्ट्रीय आरोग्य निधि 55
F.18. प्रतिजैविकों की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, 2015 55
F.19.भारत और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (INDIA and MDG) 56
F.20. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 57
F.21.आई ए पी हेल्थफोन कार्यक्रम 57
G. विविध *58*
G.1 स्वच्छ भारत मिशन 58
G.2 स्वच्छ सर्वेक्षण 59
G.3 'नई मंजिल' योजना का शुभारंभ 61
G.4 मुसीबत में मदद करने वालों की सुरक्षा 62
G.5. नस्लीय असहिष्णुता 62
G.6 सभी के लिए आवास मिशन के अंतर्गत प्रथम परियोजना 63
G.7 राष्ट्र और राष्ट्रवाद 63
G.8 ट्रांसजेंडर नीति 64
G.9 पुनर्वास योजना का पुनर्गठन 65
G.10 सामजिक नवोन्मेष 66
G.11 मानव विकास रिपोर्ट 2015 66
G.12 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2015 69
G.13 भारत में जनसंख्या पर UN रिपोर्ट 70

VISION IAS

A.महिलाओं से सम्बंधित मुद्दे

A.1. धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा

(Women Entry to Religious Places Issue)

- हाल ही में भूमाता रंगरागिनी ब्रिगेड नामक महिलाओं के एक समूह ने शनि-शिगनापुर मंदिर की 400 वर्षों पुरानी परंपरा तोड़ने की कोशिश की, जिसके अनुसार महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

सबरीमाला मंदिर प्रवेश मुद्दा:

- सबरीमाला केरल में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। एक अनुमान के अनुसार यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ स्थल है, जहाँ 50 लाख श्रद्धालु प्रति वर्ष आते हैं। 10 से 50 आयुवर्ग की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, चूंकि वे मासिक-धर्म आयु वर्ग में आती हैं।
- उच्चतम न्यायलय ने मंदिर ट्रस्ट से पूछा है कि क्या महिलाओं को बाहर रखने का कोई भी संवैधानिक कारण है।

हाजी अली:

- महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन किया, और बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि समानता को परंपरा और रीति-रिवाजों पर तरजीह दी जानी चाहिए।
- न्यायालय ने यह कहा कि जब तक दरगाह ट्रस्ट यह साबित करने में सक्षम नहीं होता कि प्रतिबंध कुरान के संदर्भ में उनकी धार्मिक प्रथा का हिस्सा है, तब तक महिलाओं को दरगाह में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

महत्व:

कानून बनाम धर्म:

- यह प्रतिबंध संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, चाहे प्रथागत अधिकार धार्मिक परंपराओं और प्रथाओं की अनुमति देते हों।
- यद्यपि संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, अनुच्छेद 25 का खंड 2 (b) राज्य को धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है।
- **विश्वास बनाम तर्कशीलता**: ऐसे भगवान की वैधता जो महिलाओं की उपस्थिति मात्र से संकट में पड़ जाते हैं।
- महिलायें संविधान के प्रगतिशील अधिकारों और प्रतिगामी प्रथाओं के प्रति तेजी से जागरूक हो रही हैं। मंदिरों में प्रवेश महिलाओं के प्रति भेदभाव का प्रतीक है।
- इतिहास साक्षी है कि पूर्व में में चलाए गए मंदिर प्रवेश आंदोलन शक्ति पदानुक्रम को चुनौती देने का एक माध्यम थे, जैसे-दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश।

VISION IAS

- धर्म के मूल में निहित प्रतिगामी नजरिए को दबाव से नहीं बल्कि; धीरे- धीरे जमीनी स्तर पर काम करके ही बदला जा सकता है।

A.2. देवदासी प्रथा

(Devdasi System)

सुर्खियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायलय ने देवदासी मुद्दे पर सुनवाई तब आरम्भ की, जब उसे अवगत कराया गया कि कैसे दलित लड़कियों को कर्नाटक के दावणगेरे जिले के उत्तंगी माला दुर्गा मंदिर में देवदासियों के रूप में समर्पित किया जा रहा है।
- उच्चतम न्यायलय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, विशेष रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को देवदासी प्रथा रोकने के लिए केन्द्रीय कानून को लागू करने का निर्देश दिया है। इस "अवांछित और अस्वास्थ्यकर" प्रथा में युवा लड़कियों को देवदासी बनने के लिए मजबूर किया जाता है।

देवदासी कौन होती हैं?

- 'देवदासी' वे महिलाएँ होती है जो अपना जीवन मंदिर की सेवाओं के लिए समर्पित कर देती हैं; ये महिलाएं अक्सर यौन शोषण का शिकार होती हैं।

देवदासी प्रथा को रोकने के लिए प्रासंगिक कानून:

- कर्नाटक देवदासी (समर्पण निषेध) अधिनियम 1982 और महाराष्ट्र देवदासी उन्मूलन अधिनियम 2006 जैसे राज्य स्तरीय कानूनों ने देवदासी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 372 वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए नाबालिगों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाती है।
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 सार्वजनिक स्थानों के आसपास या सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति को अपराध का दर्जा देता है।

A.3 तमिलनाडु में अर्चकों की नियुक्ति से सम्बंधित सर्वोच्च न्यायालय का विनिर्णय

(Supreme Court verdict on appointment of Archakas in Tamil Nadu temples)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जो यह निर्धारित करता है कि कौन सा व्यक्ति एक पुजारी के रूप में एक आगम-संरक्षित हिन्दू मन्दिर के पवित्र स्थान (गर्भ गृह) में प्रवेश करेगा। न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु के मन्दिरों में आगमों के अनुसार अर्चकों की नियुक्ति समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

VISION IAS

निर्णय क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के 23 मई 2006 के उस आदेश को निरस्त कर दिया जो किसी भी योग्य तथा प्रशिक्षित हिन्दू को राज्य में हिन्दू मन्दिरों में पुजारी के रूप में नियुक्ति की अनुमति देता था।

आगम

- आगम हिंदू समुदाय की भक्ति धारा के अंतर्गत कई शास्त्रों का संग्रह हैं।
- संस्कृत में आगम मतलब है "जो कि हमारे पास आ गया है"।
- यह ग्रंथ संस्कृत भाषा के अलावा तमिल जैसी कुछ दक्षिण भारतीय भाषाओं में हैं।
- आगम ग्रंथ दो प्रकार के हैं: आगम और तंत्र।
- इनमें से पहला शैव और वैष्णव मंदिरों में प्रचलित है, जबकि दूसरा शक्ति मंदिरों प्रचलित है।
- आगमों में कई विषयों की व्याख्या की गई है और वे वास्तव में पद्धति-ग्रन्थ (Stylebook) की तरह हैं, जिन पर हिंदू रीति-रिवाज आधारित है. कुछ शैव मंदिर तमिल आगमों के आधार पर कार्य करते हैं, तथा वैष्णव मंदिरों में अनुष्ठान वैखानस आगम और पंचरात्र आगम के आधार पर होता है।
- आगम ग्रंथों के अनुसार पूजा एक विशेष और अलग संप्रदाय से संबंधित अर्चकों द्वारा ही की जा सकती है; और ऐसा न करने पर वहाँ देवता पर कलंक लगेगा जिसे दूर करने के लिए शुद्धि समारोहों का आयोजन करना होगा।

A.4 वर्दीधारी सेवाएं एवं महिलाएं

(Gender Discrimination in Temple Worship)

- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि गर्भावस्था के कारण महिलाओं को स्थायी रूप से सेना चिकित्सा कोर में सम्मिलित होने से नहीं रोका जा सकता है।
- न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में कहा कि बच्चे को जन्म देने और रोजगार ग्रहण करने के बीच विकल्प चुनने के लिए विवश करना महिला के प्रजननात्मक अधिकारों के साथ ही उसके रोजगार के अधिकार में हस्तक्षेप है और इस प्रकार की कार्रवाई के लिए "आधुनिक भारत में कोई स्थान नहीं है"।
- सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय का तर्क था कि यदि कोई महिला सशस्त्र सेवा में भर्ती होने की तिथि तक गर्भवती है, तो उक्त महिला को सेवा में भर्ती होने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उसे बच्चे को जन्म देने के बाद पुनः प्रारंभ से पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

अन्य बलों में इसी प्रकार की परिपाटियां:

- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में लड़ाकू शाखा में कार्यरत वर्दीधारी महिला चिकित्सकों को बच्चे के जन्म के बाद सेवा में सम्मिलित होने के सन्दर्भ में पर्याप्त छूट प्रदान की गयी है।
- गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश भी प्रावधान करते हैं कि:
    - महिलाओं को उन सभी सेवाओं, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण सम्मिलित नहीं है, के लिए गर्भावस्था के दौरान भी सेवा के लिए रिपोर्ट करने हेतु फिट माना जाना चाहिए।

VISION IAS

- जबकि शारीरिक प्रशिक्षण वाली सेवाओं के मामलों में, रिक्ति वरिष्ठता के संरक्षण के साथ-साथ सुरक्षित रखी जानी चाहिए - और महिलाओं को प्रसव के छह सप्ताह के बाद सेवा में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

A.5. नौसेना ने महिलाओं को स्थायी नियुक्ति प्रदान की

(Navy Grants Permanent Commission for Women)

- हाल ही में लैंगिक बाधाओं को तोड़ते हुए भारतीय नौसेना ने सात महिला अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति प्रदान की है और 2017 से आठ शाखाओं में परमानेंट कमीशन लागू करने की योजना बनाई है।
- हालाँकि यह उनकी मेडिकल फिटनेस और अच्छी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) के अधीन है।
- 2017 से शिक्षा, कानून, मौसम विज्ञान, हवाई यातायात नियंत्रण, रसद, पर्यवेक्षण, समुद्री टोही विमान पर पायलट और नौसेना कंस्ट्रक्टर्स आदि शाखाओं में भी स्थायी कमीशन लागू किया जायेगा।

पृष्ठभूमि

- अब तक महिला अधिकारियों को थल और वायु सेना के केवल कुछ चुनिंदा विभागों में ही स्थाई कमीशन की अनुमति दी गई थी।
- नौसेना में अब तक केवल 14 वर्षों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की ही अनुमति थी, जिसके कारण महिला अधिकारी पेंशन से वंचित रह जाती थीं।
- भारतीय वायु सेना ने पिछले वर्ष लड़ाकू वर्ग में महिलाओं के प्रवेश की घोषणा की और इस प्रकार वह पहला भारतीय सशस्त्र बल बना जिसमें लड़ाकू भूमिका में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई। हालाँकि ऐसा केवल प्रायोगिक आधार पर किया गया है।

A.6. सशस्त्र बलों में महिलाऐं

(Women in Armed Forces)

युद्ध भूमिका में महिलाएँ

- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू वर्ग में महिलाओं को शामिल करने को मंजूरी दे दी है।
- भारतीय वायुसेना ने मंत्रालय से इसके लिए एक औपचारिक अनुरोध किया था। आशा की जाती है कि जून 2017 तक महिलाएँ वायु सेना को लड़ाकू पायलट की सेवाएँ देने लगेंगी।
- समेकित रक्षा स्टाफ मुख्यालय द्वारा वर्ष 2006 में और त्रि-सेवा उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2011 में किये पर अध्ययन पर आधारित सिफारिशों में लड़ाकू भूमिका में महिलाओं को शामिल करने से मना कर दिया था।

सशस्त्र बलों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

- भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के विभिन्न पाठ्यक्रमों में महिलाओं को शामिल किये जाने की अनुमति है लेकिन अब तक युद्धक भूमिका में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध था।

VISION IAS

- इस निर्णय से महिलाओं को भारतीय वायुसेना की सभी शाखाओं में शामिल होने की पात्रता मिल गयी है।
- भारतीय वायुसेना के बाद भारतीय नौसेना ने भी विभिन्न शाखाओं में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने का निर्णय लिया है, लेकिन ढांचागत जरूरतों को पूरा होने तक उन्हें तटीय क्षेत्रों में ही नियुक्त किया जायेगा।
- सितंबर 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दी थी और महिलाओं की प्रगति को रोकने वाला "sexist bias" रखने के लिए नौसेना और रक्षा मंत्रालय की खिंचाई की थी।

A.7. लैंगिक असमानता – प्रादेशिक सेना

(Gender Inequality - Territorial Army)

प्रादेशिक सेना को संचालित करने वाले कानून में मौजूद एक प्रावधान जो लाभप्रद रोजगार में लगी महिलाओं की नियुक्ति पर रोक लगाता है, को चुनौती देने वाली याचिका पर हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय और प्रादेशिक सेनाओं को नोटिस भेजा है।

चिंताएं:

- महिलाओं की नियुक्ति पर रोक का तात्पर्य 'संस्थानिक भेदभाव' हुआ जो मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
- लिंग के आधार पर भेदभाव संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।
- वर्तमान में प्रादेशिक सेना में केवल पुरुषों की ही नियुक्ति होती है।[gainfully employed;लाभप्रद रोजगार प्राप्त)
- भारत, वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में 127वें और लैंगिक अंतराल (gender gap) में 114 वें स्थान पर है।

प्रादेशिक सेना

- स्थायी सेना के बाद यह संगठन देश की दूसरी रक्षा पंक्ति है। सैन्य ट्रेनिंग पा चुके स्वयंसेवकों से इसका गठन होता है, जो आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करती है।
- यह कोई नौकरी या रोजगार का स्रोत नहीं है। प्रादेशिक सेना से जुड़ने के लिए लाभप्रद रोजगार या किसी नागरिक(सिविल) पेशे में स्व-रोजगार होना एक पूर्व आवश्यक शर्त होती है।
- जनजीवन प्रभावित होने के स्थितियों या देश की सुरक्षा पर खतरे की स्थिति में यह जरूरी सेवाओं के रखरखाव में मदद करती है।
- प्रादेशिक सेना कानून के प्रावधानों के अनुसार महिलाएं इस संगठन से जुड़ने की पात्र नहीं हैं।

VISION IAS

A.8. भ्रूण का लिंग परीक्षण

(Sex Determination of Foetus)

सुर्खियों में क्यों?

- महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हाल ही में सुझाव दिया है कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे के लिंग परीक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और बच्चे के लिंग का उसी क्षण से पंजीकरण होना चाहिए। इस तरह से बच्चे के जन्म पर नज़र रखी जा सकेगी।
- लिंग-निर्धारण के बाद भ्रूण पर नज़र रखना और संस्थागत प्रसव की जुड़वां रणनीति से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि कन्या भ्रूण का गर्भपात न किया जाए और जन्म के बाद बच्चे को मारा न जाए।

वर्तमान परिदृश्य:

- वर्तमान में लिंग अनुपात में गिरावट का मुकाबला करने के लिए भारत की रणनीति गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (PCPNDT Act), 1994 पर आधारित है।
- यह अधिनियम भ्रूण के लिंग का परीक्षण करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी पर प्रतिबंध लगाता है।
- भारत विश्व के सबसे प्रतिकूल शिशु लिंग अनुपात वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात में गिरावट आई है। 2001 में प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थी जबकि 2011 में यह सिर्फ 919 लड़कियां ही रह गयीं।

A.9. सरोगेसी (किराए की कोख)

(Surrogacy)

सुर्खियों में क्यों?

- बंबई उच्च न्यायालय ने मध्य रेलवे को निर्देश दिए हैं कि उस महिला कर्मचारी को तीन महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाये जो सरोगेसी (किराये की कोख) का उपयोग करके माँ बनी है।
- अदालत ने फैसला दिया कि किसी भी सामान्य काम काजी महिला की तरह सरोगेट द्वारा माँ बनने वाली महिला को भी बाल-दत्तक ग्रहण अवकाश तथा नियम (Child Adoption Leave and Rules) के तहत मातृत्व अवकाश लाभ प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।
- महिला के वकील ने अदालत में दलील दी कि अगर महिला को मातृत्व अवकाश नहीं मिलता तो यह निश्चित रूप से एक बच्चे को माँ के साथ संबंध विकसित करने के अधिकार का उल्लंघन होगा।

भारत में सरोगेसी का वर्तमान परिदृश्य:

- भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी को वर्ष 2002 से कानूनी रूप से वैधता प्राप्त है।
- वैश्विक स्तर पर भारत सरोगेसी के लिए एक पसंदीदा गंतव्य माना जाता है और इसे "प्रजनन पर्यटन" के रूप में जाना जाता है।
- भारत में सरोगेसी की लागत अपेक्षाकृत कम है और कानूनी वातावरण भी अनुकूल है।

VISION IAS

- वर्तमान में सहायक प्रजनन तकनीक क्लीनिक (Assisted Reproductive Technique, ART) के दिशा-निर्देश तथा दंपत्तियों और सरोगेट माँ के मध्य सरोगेसी अनुबंध ही मार्गदर्शक हैं।
- 2008 में मंजी (जापानी बेबी) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी की अनुमति है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को सरोगेसी के लिए एक उचित कानून पारित करने के लिए भी कहा था।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते देते हुए संसद में सहायक प्रजनन तकनीक विधेयक अधिनियमित किया गया था, जो अभी तक लंबित है।
- सरोगेट माँ का शोषण और बच्चों का वस्तुकरण (commodification) चिंता के प्रमुख विषय हैं जिनका निवारण कानून को करना है।

सरोगेसी पर विधि आयोग की रिपोर्ट:

- भारत के विधि आयोग ने "सहायक प्रजनन तकनीक और सरोगेसी के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न पक्षों के उत्तरदायित्व और अधिकारों के विनियमन के लिए कानून की जरूरत" पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- आयोग ने दृढ़ता से वाणिज्यिक सरोगेसी का विरोध किया है।
- आयोग ने कहा कि बच्चा चाहने वाले जोड़े में से एक व्यक्ति को डोनर होना चाहिए क्योंकि जैविक संबंधों के होने से ही एक बच्चे के साथ प्यार और स्नेह उत्पन्न होता है।
- क़ानून को स्वयं ही गोद लेने की आवश्यकता या अन्य किसी माता-पिता घोषित करने संबंधी विज्ञप्ति के बिना भी पैदा हुए बच्चे को दंपत्ति के वैध बच्चे के रूप में मान्यता देनी चाहिये।
- डोनर के साथ ही सरोगेट माँ के निजता के अधिकार की भी रक्षा की जानी चाहिए।
- लिंग-चयनात्मक सरोगेसी को पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- गर्भपात के मामलों को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम, 1971 द्वारा नियमित किया जाना चाहिए।

A.10. उत्तराधिकारी के रूप में बेटी

(DAUGHTER AS INHERITOR)

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में घोषणा की है कि बड़ी बेटी हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति की कर्ता हो सकती है।

पृष्ठभूमि:

- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कर्ता हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति के वारिसों में एक सहदायिक या उनमें सबसे बड़ा होता है।

VISION IAS

- कर्ता के पास परिवार के बाकी सदस्यों की सहमति के बिना संपत्ति और कारोबार के प्रबंधन का अधिकार होता है।
- हिंदू अविभाजित परिवार 'संयुक्त परिवार' से अलग है क्योंकि यह विशुद्ध रूप से पैतृक संपत्ति के राजस्व आकलन से संबंधित है।
- इसमें संपत्ति को बेटों और बेटियों के बीच विभाजित नहीं किया जाता और इसमें ससुराल-पक्ष के लोगों को शामिल नहीं किया जाता।
- हिंदू अविभाजित परिवार सभी हिंदुओं और उन सभी लोगों पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। इसमें बौद्ध, सिख और जैन भी शामिल हैं।
- 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद, बेटियों सहित परिवार में पैदा हुए सभी सदस्यों को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान कर दिया गया।
- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय के अनुसार परिवार की बड़ी बेटी कर्ता हो सकती है, जबकि दूसरे पक्ष का तर्क था कि बेटियों को केवल संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, संपत्ति प्रबंधन का अधिकार नहीं।
- न्यायालय के अनुसार विवाहित बेटियाँ भी कर्ता की भूमिका निभा सकती हैं।
- हिंदू अविभाजित परिवार विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर नहीं करता और हिंदू पुरुषों और महिलाओं को उत्तराधिकार का समान अधिकार देता है।
- चुनौती यह है कि वास्तव में बहुत कम महिलायें व्यापार और संपत्ति के प्रबंधन में कार्य करती हैं।

A.11. पैतृक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार

(Women Right to Ancestral Property)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हिन्दू विधि में वर्ष 2005 में किये गए संशोधन के लागू होने के पूर्व ही यदि पिता की मृत्यु हो गयी है तो पुत्री को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा ।

- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, वर्ष 1956 में मूलतः बेटियों को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान नहीं किया गया था।
- वे एक संयुक्त हिन्दू परिवार में केवल भरण-पोषण का अधिकार ही मांग सकती थीं। किन्तु इस असमानता को 9 सितम्बर, 2005 में एक **संशोधन** द्वारा दूर किया गया।
- इस फैसले में संपत्ति में समान हिस्सेदारी की मांग करती हुई महिलाओं के अधिकार के लिए संशोधन के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है।

VISION IAS

उत्तराधिकार के लिए महिलाओं को प्राप्त अधिकार की सीमाएं निम्नलिखित हैं:

1. विधेयक को प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही संपत्ति के हस्तांतरित हो जाने की दशा में वे संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकतीं।
2. एक सामाजिक कानून होने के बावजूद संशोधित प्रावधानों के भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकते। यदि किये गए संशोधन के लागू होने के पूर्व ही यदि पिता की मृत्यु हो गयी है तो पुत्री को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा

A.12. दहेज हत्यायें

(Dowry Deaths)

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों में सर्वाधिक दहेज हत्याएँ उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार का स्थान आता है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961

- इस अधिनियम के प्रवर्तन एवं कार्यान्वयन के लिए सम्बंधित राज्य सरकारें उत्तरदायी है।
- दहेज निषेध अधिनियम,1961 कानून के प्रभावी एवं परिणामदायक प्रवर्तन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, इसके लिए अधिनियम में दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यों के साथ समय-समय पर इस अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन की समीक्षा करता है।
- भारतीय दंण्ड संहिता (IPC) की धारा 304-B दहेज हत्या से सम्बंधित मामलों से जुड़ी है। इस धारा के तहत दोषित व्यक्ति को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

A.13. घरेलू हिंसा

(Domestic Violence)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मन्त्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रतिवेदन के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध में घरेलू हिंसा का हिस्सा सर्वाधिक है। इस प्रतिवेदन का शीर्षक ‘‘भारत में महिला एवं पुरुष 2015’ (women and man in India 2015) था।

घरेलू हिंसा अधिनियम

- यह 26 अक्टूबर 2006 को अस्तित्व में आया था।
- अधिनियम में पहली बार भारतीय कानून में 'घरेलू हिंसा' की एक परिभाषा दी गयी है। इस परिभाषा को व्यापक रखा गया है और इसमें न केवल शारीरिक हिंसा शामिल है,बल्कि इस तरह की भावनात्मक/मौखिक, यौन, और आर्थिक दुरुपयोग आदि हिंसा के अन्य रूपों को भी शामिल किया गया है।

VISION IAS

- यह एक नागरिक कानून है जो मुख्य रूप से संरक्षण आदेश के लिए लक्षित है और आपराधिक दंड प्रदान करने के लिए लक्षित नहीं है।
- अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर, जिसका अपना ही कानून है पर लागू नहीं होता है। जम्मू-कश्मीर राज्य ने 2010 में जम्मू-कश्मीर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू किया था।

A.14. महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध

(Cybercrime Against Women)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महिलाओं का आनलाइन उत्पीड़न- महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध में वृद्धि हो रही हैं। अतः सरकार ने हाल ही में साइबर अपराधों को रोकने के लिए विभिन्न कदमों को उठाया है।

हाल ही में सरकार ने साइबर अपराध के निवारण के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं-

- साइबर अपराध के मामलों के प्रतिवेदन एवं जाँच के लिए राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों में साइबर अपराध सेल की स्थापना की गई है।
- सरकार ने विधि प्रवर्तक एवं न्यायपालिका के प्रशिक्षण के लिए केरल, असम और मिजोरम आदि राज्यों में साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण तथा जाँच प्रयोगशालाओं की स्थापना की है।
- साइबर अपराध से सम्बंधित जाँच कार्यक्रम-विभिन्न विधि शिक्षण संस्थाएँ न्यायिक अधिकारियों के लिये साइबरकानूनों तथा साइबर अपराधों पर विभिन्न जागरुकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं।
- सरकार द्वारा स्थापित प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- हिंसा से प्रताड़ित सभी महिलाओं को 24 घण्टे आपातकालीन तथा गैर-आपातकालीन त्वरित सहायता हेतु महिला हेल्पलाइन उपलब्ध कराने की योजना को अनुमोदित किया गया है।

साइबर अपराध क्या है?

- साइबर अपराध एक आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है।
- एक आपराधिक उद्देश्य के साथ लोगों के खिलाफ किये अपराध जिसका उद्देश्य शारीरिक या मानसिक हानि पहुँचाना, या पीड़ित को सीधे या परोक्ष रूप से नुकसान पहुँचाना, और इस तरह के कार्य के लिए इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसे आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करना।
- इस तरह के अपराधों में कंप्यूटर का अपराध करने में इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ मामलों में, कंप्यूटर अपराध का लक्ष्य हो सकता है।
- साइबर अपराध किसी राष्ट्र की सुरक्षा और वित्तीय स्वास्थ्य को खतरा हैं।

साइबर अपराध जो विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित करते हैं:

- ईमेल के माध्यम से उत्पीड़न
- साइबर स्टाकिंग (cyberstalking)
- साइबर पोर्नोग्राफी
- मानहानि (defamation)
- मोर्फिंग(Morphing)
- ईमेल स्पूफिंग

VISION IAS

A.15. महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु पैम राजपूत समिति

(Pam Rajput Committee)

महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति 2013 में गठित की गई थी। इसका उद्देश्य 1989 के बाद से महिलाओं की स्थिति पर एक व्यापक अध्ययन करना और महिलाओं की *आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं* के समकालीन मूल्यांकन पर आधारित उचित नीतिगत पहलों का विकास करना है। **ऐसी प्रथम समिति 42 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर 1971 में स्थापित की गयी थी।**

समिति की सिफारिशें

- उच्च स्तरीय समिति का मानना है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) निरस्त किया जाए, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाये और संसद समेत विधायिका के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 50% आरक्षण प्रदान किया जाए।
- **महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से** निपटने के लिए समिति ने अनेक विधायी हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर जोर दिया है।
- स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं, संसद, मंत्रिमंडल और सरकार के सभी निर्णय-निर्धारक निकायों में ***महिलाओं के लिए 50% सीटों के आरक्षण*** की अनुशंसा करते हुए, समिति ने टिप्पणी की कि, "*शासन और राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक समानता, लैंगिक समता की उपलब्धि के लिए पूर्व अपेक्षित शर्त है।*"
- समिति ने बेटों को वरीयता देने के कारण उत्पन्न विषम लिंग अनुपात की समस्या, "भारत की लापता लड़कियाँ", को "राष्ट्रीय शर्म" की संज्ञा दी। सार्वजनिक जीवन जीने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ***एक लैंगिक स्कोर कार्ड*** का प्रस्ताव करते हुए, इसने यह भी अनुशंसा की कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (सांसदों, विधायकों तथा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों) को अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लिंगानुपात के लिए जवाबदेह होना चाहिए| वहीं लिंग अनुपात में प्रगति के लिए पुरस्कार और सम्मान प्राप्त होना चाहिए तथा उपेक्षा, निष्क्रियता और अपराध में भागीदारी के लिए उन पर अभियोग चलाया जाना चाहिए।

A.16. तिहरा तलाक

(Triple Talaq)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में तिहरे तलाक के प्रावधानों के खिलाफ याचिका पर उत्तर देने के लिए केंद्र को नोटिस जारी किया है।
- सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका मुस्लिम पर्सनल लॉ में तिहरे तलाक़ और तलाक़ के दूसरे प्रावधानों पर एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर की गयी थी।
- उपर्युक्त याचिका का महत्व एक समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) लागू किये जाने की आवश्यकता के कारण है।

VISION IAS

A.17. वीमेन ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया अभियान

(Women Transforming India Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र संघ और MyGov के सहयोग से भारत में 8 मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 'वूमैन ट्रांसफॉर्मिंग' इंडिया नामक अभियान का शुभारंभ किया।

यह क्या है?

- इसे एक प्रतियोगिता की तरह बनाया गया है जिसमें कुछ नया व अलग काम करने वाली, खुद को या दूसरों को सशक्त बनाने वाली और रुढ़िवादी प्रथाओं को चुनौती देने वाली महिलाओं से प्रविष्टियाँ मांगी गयी है।
- यह विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण मोर्चों में महिलाओं के नेतृत्व को प्रोत्साहित करेगा।
- विजेता प्रविष्टियों को नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा विजेता को सरकार के नीति-निर्माताओं के साथ बातचीत का एक सीधा अवसर भी मिलेगा।
- सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत ने "महिलाओं के लिए एक अकेले चल सकने योग्य लक्ष्य" (Stand-alone goal on gender) की जरुरत का समर्थन किया और कहा कि सतत विकास लक्ष्यों में महिलाओं को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
- सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्र और राज्यों के सभी प्रयासों को समन्वित करने और निगरानी की भूमिका नीति आयोग को दी गई है।

A.18. महिला ई-हाट

(Mahila E-Haat)

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला ई-हाट का शुभारंभ किया। यह महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए महिला उद्यमियों हेतु एक विपणन पोर्टल है।

महिला ई-हाट क्या है ?

- 'महिला ई-हाट' एक ऑनलाइन मंच है, जहां महिला उद्यमी अपने उत्पादों को सीधे बेच सकती हैं।
- महिलाओं उद्यमियों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क के भुगतान की जरूरत नहीं है।
- इस पोर्टल को राष्ट्रीय महिला कोष के तहत 10 लाख रुपये का निवेश करके स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय महिला कोष, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है।

VISION IAS

- इसके तहत पंजीकृत होने के लिए केवल एक ही मानदंड है – विक्रेता (महिला या महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के सदस्य) की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस मानदंड का निर्धारण बालश्रम के समस्या के कारण किया गया है, जिससे नाबालिग लड़कियों को काम पर ना लगाया जाए।

A.19. सतत विकास लक्ष्य और महिलायें

(SDG and Women)

सतत विकास लक्ष्य

- सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अपनाये गए 17 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक, यानी अगले पंद्रह वर्षों में, सभी सदस्य देशों द्वारा प्राप्त किया जाना है।
- ये लक्ष्य सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की तुलना में अधिक व्यापक हैं और इनसे सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जाना संभव होगा।

महिलाओं से संबंधित सतत विकास लक्ष्य

लक्ष्य 2: भूख की समाप्ति

- किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना।

लक्ष्य 3: अच्छा स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन

- वैश्विक मातृत्व मृत्यु दर की प्रति 100,000 जीवित जन्म पर 70 से कम करना।
- परिवार नियोजन, जागरूकता और शिक्षा के साथ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच।
- राष्ट्रीय रणनीतियों और कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य को शामिल करना।

लक्ष्य 4: शिक्षा की गुणवत्ता

- महिलाओं और पुरुषों, दोनों के लिए सस्ती और गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा सुनिश्चित करना।
- ऐसी शिक्षा सुविधाओं का विकास और अवनयन करना जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो और सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्रदान करे।

लक्ष्य 5: लैंगिक समानता

- महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ सभी जगह सभी प्रकार के भेदभाव का अंत।
- मानव तस्करी, यौन शोषण और अन्य प्रकार के शोषण सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करना।
- बाल विवाह, बलात विवाह और महिला जननांग कर्तन (female genital mutilation) जैसी सभी कुप्रथाओं को समाप्त करना।

VISION IAS

- राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने और जीवन के सभी स्तरों पर नेतृत्व के लिए महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।
- आर्थिक संसाधनों पर समान अधिकार के साथ ही जमीन और अन्य संपत्ति, वित्तीय सेवाओं, पैतृक और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण पर समान अधिकार देना।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ अन्य तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्थ नीतियों और प्रवर्तनीय कानून को मज़बूत बनाना।

लक्ष्य 6: स्वच्छ जल और साफ-सफाई

- महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और खुले में शौच करने की प्रवृत्ति को ख़त्म करना।

लक्ष्य 8: संतोषजनक काम और आर्थिक विकास

- सभी महिलाओं और पुरुषों को पूर्ण और उत्पादक रोज़गार प्रदान करना।
- समान कार्य के लिए समान वेतन।
- श्रम अधिकारों की रक्षा करना और सभी श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना।

लक्ष्य 10: असमानताओं को कम करना

- आयु, लिंग, विकलांगता, जाति, धर्म, या आर्थिक या अन्य स्थिति को मद्देनज़र रखे बिना सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशी विकास को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 10: संधारणीय (Sustainable) शहर और समुदाय

- संधारणीय परिवहन व्यवस्था के निर्माण में महिलाओं की आवश्यकताओ का ध्यान रखना।
- सुरक्षित, समावेशी और सुलभ सार्वजनिक स्थलों तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना।

लक्ष्य 13: जलवायु परिवर्तन

- महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित योजना और प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करना।

लक्ष्य 16: शांतिपूर्ण और समावेशी संस्थान

- सभी प्रकार की हिंसा और संबंधित मृत्यु दर को कम करना।
- यातना, दुरुपयोग, शोषण, तस्करी और बच्चों के खिलाफ हर प्रकार की हिंसा का अंत।

VISION IAS

A.20. भारत का पहला जेंडर पार्क

(India's First Gender Park)

यह पार्क लैंगिक मुद्दों से निपटने के लिए साझा मंच के रूप में राज्य सरकार, शिक्षाविदों और नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिए केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की एक पहल है।

संस्था के उद्देश्य:

- **महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का** सृजन करना तथा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों में उद्यमिता पर बल देना।
- केरल के समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के **इतिहास का अनुसंधान और प्रलेखन** आरंभ करना।
- विभिन्न विभागों / एजेंसियों / नागरिक समाज के आंदोलनों द्वारा आरंभ की गई महिलाओं के विकास की गतिविधियों को मजबूत करना।
- लिंग असमानताओं को कम करने में **वैश्विक ज्ञान और अनुभवों को साझा** करने के लिए वातावरण का सृजन करना।
- इसमें राज्य सरकार की 2015 की लैंगिक और ट्रांसजेंडर नीतियों के अनुसार **सभी तीन लिंगों से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित** किया जाएगा।

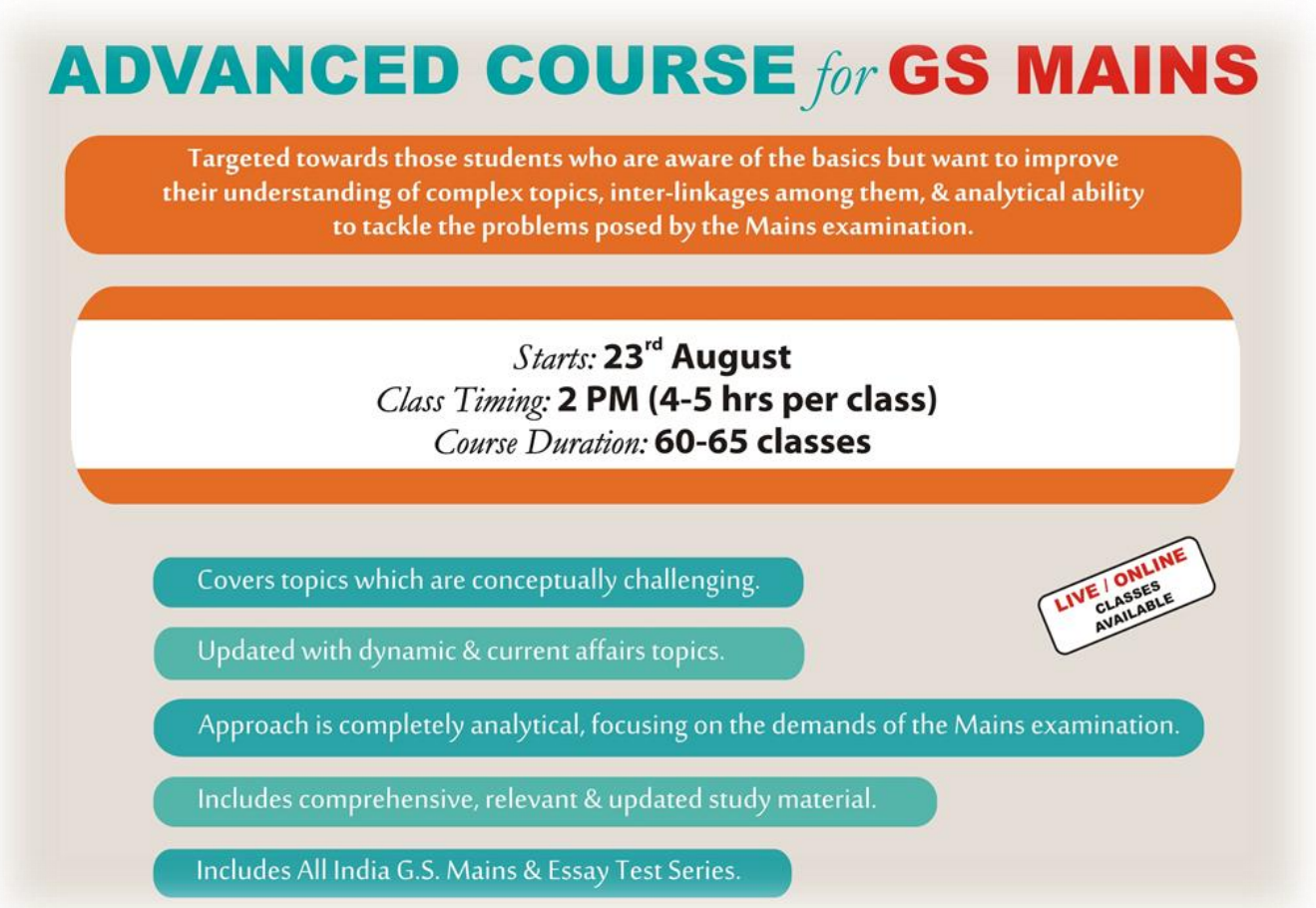

B. बच्चों से सम्बंधित मुद्दे

B.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

(Beti Bachao Beti Padhao)

योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु नयी पहलें:

- इस नयी पहल का उद्देश्य 10 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ताओं के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जागरुकता का संचार करना है।
- इसके अंतर्गत एक निजी कम्पनी 'सेलटिक' अपनी विशिष्ट मोबाइल संदेश प्रौद्योगिकी का प्रयोग संदेश सम्प्रेषण में करती है। कंपनी के द्वारा भेजे गए संदेशों की प्रकृति संवाद के रूप में (Interactive) होती हैं।
- मोबाइल प्रयोक्ता इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से भेजे गए संदेशों से मोबाइल होमस्क्रीन पर संवाद स्थापित कर सकते हैं।
- यह योजना से संबंधित समस्त सूचनाओं को सहजतापूर्वक सभी व्यक्तियों को उपलब्ध करा सकता है।
- यह प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं तक सूचना उनके स्थानीय परिवेश के बारे में उनकी ही भाषा में उपलब्ध कराएगी।

B.2. बच्चों से बलात्कार के मामले में विशेष कानून की जरूरत (पॉस्को कानून की विफलता)

Need for Special Law for Child Rape (Failure of POSCO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 2015 में ब्रिटेन के एक नागरिक ने मद्रास उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ चल रही यौन शोषण की कार्यवाही को समाप्त करने की याचिका दायर की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने उसकी माँग को ख़ारिज कर दिया और केंद्र को बाल यौन शोषण के आरोपियों को नपुंसक बनाने पर विचार करने का सुझाव दिया।
- इसी क्रम में 2016 में सुप्रीम कोर्ट वूमेन लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को इस तरह के अपराधों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाले कानून पर विचार करने की सलाह दी।

पॉस्को कानून: एक परिचय

- 14 नवम्बर 2012 से प्रभावी यौन अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम (POSCO),2012 एक व्यापक कानून है जिसके तहत यौन उत्पीड़न, यौन शोषण तथा पोर्नोग्राफी से बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान किये गए हैं। इसके अनुसार न्यायिक प्रक्रिया में अपराध की रिपोर्टिंग, सबूतों की रिकॉर्डिंग तथा अन्य सभी प्रक्रियाओं में बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही ऐसे अपराधों के शीघ्र निपटान और स्पीडी ट्रायल हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।

B.3 चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध

(Ban on Child Pornography)

सुर्खियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से न्यायालय को इस विषय पर सूचित करने के लिए कहा कि वह किस प्रकार इंटरनेट पर **चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की योजना** बना रही है।
- यह प्रश्न देश में पोर्नोग्राफी वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया।

- भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अधिनियम तथाकथित "अश्लील सामग्री" के उत्पादन या प्रसारण का निषेध करता है, हालाँकि अभी भी पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने वाला कोई स्पष्ट कानून अस्तित्व में नहीं है।
- यदि अपराधी आई.टी. अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है, तो अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन या प्रसारण के लिए उसे तीन वर्ष की सजा हो सकती है।

B.4. सतत विकास लक्ष्य (SDG) एवं शिशु

(SDG and Child)

सतत विकास लक्ष्य

- सतत विकास लक्ष्य 17 प्रमुख लक्ष्यों (goals) और 169 सहायक लक्ष्यों(targets) पर आधारित कार्यक्रमों का समूह है। इन लक्ष्यों और सहायक लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास सम्मेलन में सदस्य देशों के द्वारा स्वीकार किया गया है।

VISION IAS

- इनको सभी सदस्य देशों के द्वारा वर्ष 2030 तक प्राप्त कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इन लक्ष्यों का उद्देश्य सतत विकास को सुनिश्चित करना है। पूर्ववर्ती सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की अपेक्षा इनका स्वरुप अधिक व्यापक है।

शिशुओं से संबंधित सतत विकास लक्ष्य (SDG)

लक्ष्य -2 भूख के शून्य मामले

- सभी शिशुओं के लिए वर्ष भर पोषक तत्वों से भरपूर पोषाहार उपलब्ध कराकर भूख अथवा उचित पोषण के अभाव में होने वाली मृत्यु को समाप्त करना।
- पाँच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों में अपूर्ण शारीरिक विकास जैसी कुपोषण के कारण होने वाली समस्याओं को पूरी तरह समाप्त करना।
- किशोरियों के लिए आवश्यक पोषण की व्यवस्था करना।

लक्ष्य - 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण

- पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की रोग आदि के कारण होने वाली असामयिक मृत्यु को रोकना।
- नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को 12 प्रति हजार पर सीमित करना जबकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को 25 प्रति हजार पर सीमित करना।

लक्ष्य - 4 गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा

- प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सभी के लिए निःशुल्क, समतापरक तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। प्रदान की जाने वाली शिक्षा प्रांसगिक और पूर्णतः परिणाम आधारित होगी।
- सभी बालकों का समग्र विकास हो सके, इसके लिए उचित देखभाल और पूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। ऐसे संतुलित परिवेश में विकास के माध्यम से उन्हें प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा सकेगा।
- बच्चों, विकलांगों तथा महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील शिक्षा सुविधाओं की स्थापना और पूर्ववर्ती शिक्षा व्यवस्था का इस हेतु उन्नयन करना।
- एक ऐसे सशक्त परिवेश का निर्माण करना, जहाँ सभी व्यक्ति सुरक्षित वातावरण में ज्ञान प्राप्त कर सके।
- सभी व्यक्तियों की शिक्षा के सभी स्तरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना। संकटग्रस्त परिस्थितियों में निवास करने वाले बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना।

लक्ष्य - 5 :लैंगिक समानता

बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या एवं महिला जननांग कर्तन (female genital mutilation) जैसी विकृत परम्पराओं को पूरी तरह समाप्त करना।

लक्ष्य 8 :गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक विकास

- बाल श्रम के सर्वाधिक विकृत रुपों का निषेध और इन्हें पूर्ण रुप से समाप्त करना, जिसमे बाल सैनिकों की भर्ती और उन्हें युद्धक भूमिका में लगाया जाना भी शामिल है

VISION IAS

- बालश्रम के सभी रुपों का वर्ष 2025 तक उन्मूलन करना।

<u>लक्ष्य 11: संधारणीय शहर एवं समुदाय</u>

- शहरों में पर्यावरणीय अनुकूलन का ध्यान रखते हुए विकसित हो रही यातायात व्यवस्था में बच्चों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- सभी लोगों के लिए सुरक्षित और हरे भरे सार्वजनिक स्थानों का विकास करना।

<u>लक्ष्य 16 : शांति एवं न्याय की स्थापना एवं सशक्त संस्थाएँ</u>

- हिंसा के सभी रूपों एवं इससे होने वाली मृत्यु की दर में कमी लाना।
- बालकों के साथ दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार (trafficking) और सभी प्रकार की हिंसा तथा उत्पीड़न को समाप्त करना सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है।

B.5. बालअमृतम् कार्यक्रम

(BALAMURTHAM PROGRAMME)

बालअमृतम् क्या है?

- 'बालअमृतम्' माँ के दूध के विकल्प के रूप में एक भोज्य पदार्थ है जिसे 7 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों में पूरक पोषण में सुधार करने के लिए, समेकित बाल विकास सेवा योजना (ICDS) के तहत लाया गया है।
- यह फोर्टिफाइड भोज्य पदार्थ है और यह बच्चों की प्रतिदिन की आवश्यकता का 50% लौह तत्त्व, कैल्शियम, विटामिन और अन्य पोषक तत्व प्रदान करता है।
- बालअमृतम् कार्यक्रम 2013 में आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
- इस कार्यक्रम के तहत शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण आहार प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी में नामांकित बच्चों को 2.5 किलो बालअमृतम् दिया जाता है।

भारत में पोषण संबंधी सरकार की अन्य पहलें

- सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरक (सप्लीमेंट)।
- आयरन और विटामिन-ए की सार्वभौमिक पूरकता (supplementation)।

B.6. किलकारी परियोजना

(Kilkari Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

किलकारी केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई मोबाइल वॉइस मैसेज सेवा है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- इस प्रकार के वॉइस मैसेज के माध्यम से सभी परिवारों को परिवार स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जानकारी और सुझाव दिए जाएंगे, जैसे- गर्भावस्था, परिवार नियोजन, पोषण, शिशु जन्म तथा मातृत्व एवं शिशु देखभाल|

VISION IAS

- किलकारी कार्यक्रम के लिए आवश्यक तथ्य और जानकारियों के लिए माता एवं शिशु निगरानी व्यवस्था (Mother child Tracking System-MCTS) जैसे सफल कार्यक्रमों के संचालन के दौरान संग्रहित जानकारियों का प्रयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से गर्भवती माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी की जा सकेगी।
- प्रत्येक पंजीकृत गर्भवती महिला को उसकी गर्भावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था के अनुसार साप्ताहिक संदेश प्राप्त होंगे।
- गर्भावस्था के चौथे माह से सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को कुल 72 निःशुल्क ध्वनि संदेश प्राप्त होंगे जिनकी अवधि दो मिनट की होगी। ये संदेश शिशु के एक वर्ष की अवस्था प्राप्त होने तक प्राप्त होते रहेंगे।
- ये ध्वनि संदेश लाभार्थी द्वारा चयन की गई भाषा में प्रदान किए जाएंगे। प्रथम चरण में ये संदेश हिन्दी तथा उड़िया में प्रसारित किए जाएंगे तथा आशा है कि जल्दी ही इन्हें संथाली और छोटानागपुरी भाषा में भी प्राप्त किया जा सकता है।
- किलकारी योजना के लिए मोबाइल एप्लिकेशन **बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउन्डेशन** द्वारा बनाया गया है।
- बिहार में निश्चित धनराशि के भुगतान के बाद प्राप्त होने वाली इसी प्रकार की सेवा पहले से ही चल रही है।

B.7.बच्चों से संबंधित UNICEF रैपिड सर्वेक्षण (2013-14)

महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष

- किसी भी राज्य में पूर्ववर्ती अनुभवों के उलट पिछले कुछ वर्षों में अविकसित और सामान्य से कम वजन वाले बच्चों के अनुपात में वृद्धि नहीं दर्ज की गयी है।
- सभी राज्यों ने सामान्य से कम वजन वाली किशोरियों की संख्या को कम करने के सन्दर्भ में खराब प्रदर्शन किया है।
- राष्ट्रीय स्तर पर अपने आयु समूह की तुलना मे ऊँचाई मे कम वृद्धि की समस्या शहरी क्षेत्रों (प्रतिशत 32.1) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (41.7 प्रतिशत) में अधिक है। यही स्थिति कम वजन वाले बच्चों के लिए भी है।
- केवल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और त्रिपुरा ऐसे राज्य है जिन्होंने सामान्य से कम वजन वाली किशोरियों की संख्या के अनुपात को कम किया है।
- केरल राज्य ने अविकसित बच्चों की समस्या के सन्दर्भ में हुई कमी के क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।
- मणिपुर और मिजोरम राज्यों में कम वजन वाले बच्चों की सबसे कम संख्या है।
- उत्तर प्रदेश में अभी भी अविकसित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है,जिनमें से पांच वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों का प्रतिशत 50 से अधिक है ।

VISION IAS

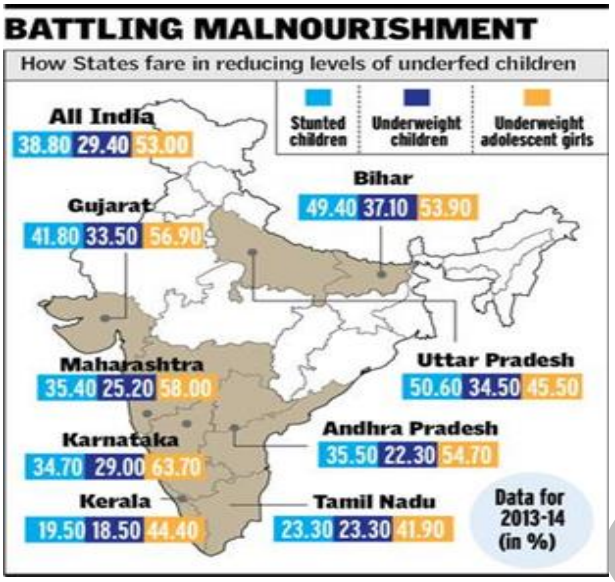

- झारखण्ड राज्य में पाँच वर्ष से कम वजन वाले बच्चों की संख्या उच्चतम स्तर पर है।
- विकसित राज्यों में, केवल गुजरात ने अविकसित बच्चों के मामलों में और कम वजन वाले बच्चों की संख्या को कम करने में, राष्ट्रीय औसत से भी बदतर प्रदर्शन किया है।
- हालांकि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने यूनिसेफ द्वारा बच्चों के रैपिड सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त नमूनों के प्रकार और अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है।

C. वृद्ध / दिव्यांग

C.1.दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूनिवर्सल आईडी

(Universal ID for Persons With Disability)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र ने हाल ही दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सल आईडी की घोषणा की। इसको जारी करने की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की होगी।

यह क्या है?

- पहचान पत्र पर एक विशिष्ट संख्या होगी जिसके माध्यम से उनके सभी विवरण को जांचा जा सकेगा। इससे विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रमाण पत्र ले जाने की परेशानी ख़त्म होगी।
- इसमें व्यक्तिगत पहचान पत्र, बैंक से संबंधित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित प्रमाण और आय प्रमाण पत्र जैसे विवरण शामिल होंगे।
- यह देश भर में मान्य होगा और दिव्यांगों द्वारा उनके लिए संचालित हो रही योजनाओं और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने को सुलभ बनाएगा।

C.2. भारत में विकलांगता

(Disability In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निःशक्तजनों का नामकरण "विकलांग" से बदलकर "दिव्यांग" करने का सुझाव दिया है।
- विकलांग लोगों के कई संगठनों ने "दिव्यांग" शब्द के उपयोग का विरोध किया है।

भारत में विकलांगता की परिभाषा

- निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 सात श्रेणियों के तहत विकलांगता को परिभाषित करता है - अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग-उपचारित(Leprosy-cured), बहरापन, लोकोमोटर डिसएबिलिटी, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी।
- 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 2.21% जनसँख्या विकलांग है।

C.3. बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

(National Centre For Ageing)

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए दो नए राष्ट्रीय प्रौढ़ केन्द्रों की स्थापना को मंजूरी दी है।

VISION IAS

राष्ट्रीय प्रौढ़ केन्द्र क्या हैं?

- राष्ट्रीय प्रौढ़ केन्द्र बुजुर्गों की देखभाल के लिए उत्कृष्टता के अति विशिष्ट केन्द्र (Highly Specialized Centers of excellence) हैं।
- ये केंद्र घर पर देखभाल के लिए नियमावली बनायेंगे और बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देंगे और प्रोटोकॉल निर्धारित करेंगे।
- इन केन्द्रों को राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत स्थापित किया जाएगा।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केंद्र दिल्ली के एम्स में और दूसरा चेन्नई के मद्रास मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा।

जरा चिकित्सा /देखभाल (Geriatric Care) क्या है?

इसे जरा देखभाल (Ageing Life Care) के रूप में भी जाना जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्गों और शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले लोगों की देखभाल की योजना बनाई जाती है और समन्वय किया जाता है ताकि वे अपनी दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा कर सकें, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकें और यथासंभव लंबे समय के लिए अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकें।

उद्देश्य

- बुजुर्गों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना क्योंकि उन पर रोगों का आक्रमण तुलनात्मक रूप से शीघ्र होता है।
- भारत में जरा चिकित्सा में विशेषज्ञता की कमी को समाप्त करना।
- इस क्षेत्र के स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण देना।
- जरा देखभाल में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- बुजुर्गों के लिए 200 बेड वाले चिकित्सा संस्थान स्थापित करना।

C.4. भारत में वृद्धों की बढ़ती संख्या

(Ageing India)

सुर्खियों में क्यों ?

- सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल ही में "भारत में बुजुर्ग, 2016" नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

आयु निर्भरता अनुपातः वृद्ध आश्रितों (64 वर्ष से ऊपर के लोगों) की कार्यकारी आयु वर्ग की आबादी (15 और 64 वर्षों के बीच) से अनुपात।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- 60 वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीयों की संख्या में 2001 से 2011 तक 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- केरल में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत अधिकतम है तथा यह राज्य की आबादी का 12.6% है।
- इसके अलावा अधिक बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में गोवा, तमिलनाडु, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सम्मिलित हैं।
- 71 प्रतिशत बुजुर्ग गाँवों में निवास करते हैं, जबकि 29 प्रतिशत शहरों में रहते हैं।

VISION IAS

- अरुणाचल प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत न्यूनतम है जहाँ राज्य की आबादी का केवल 4.6 प्रतिशत 60 वर्ष से ऊपर है।
- भारत का आयु निर्भरता अनुपात भी 2001 में 10.9 % से बढ़ कर 2011 में 14.2% हो गया है।
- बुजुर्गों के बीच साक्षरता का अनुपात 1991 में 27% था जो 2011 में बढ़कर 47% हो गया है।

C.5. सुगम्य भारत अभियान

(Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyaan))

- अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्त-जन दिवस (3 दिसम्बर) पर भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की। यह निःशक्तजनों की सभी आवश्यक सुविधाओं तक पँहुच सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रारम्भ एक फ्लैगशिप अभियान है।
- यह अभियान सार्वभौमिक सुगमता की प्राप्ति के लिए तीन अलग-अलग मापदण्डों को लक्षित करता है। ये तीन मापदण्ड निम्नलिखित हैं– परिवेश का निर्माण (built up environment), परिवहन परिवेश तन्त्र (transportation ecosystem) तथा सूचना एवं संचार परिवेश तंत्र/अवसंचरना (information and communication ecosystem) का निर्माण करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्त-जन दिवस 2015 की थीम थी - 'इन्क्लूजन मैटर्स: एक्सेस एंड एम्पावरमेंट फॉर पीपल ऑफ़ आल एबिलिटीज '

कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उद्देश्य

- इस अभियान का लक्ष्य परिवहन, सरकारी भवनों, पर्यटक स्थलों, विमानपत्तनों, रेलवे स्टेशनों तथा इंटरनेट तकनीकी को निःशक्त जनों के लिये सुगम बनाना है।
- इस अभियान के तहत निश्चित समय सीमा के भीतर महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। इसमें विभिन्न हितधारकों को लक्ष्य प्रति प्रतिबद्ध बनाने का प्रयास किया जाएगा तथा अभियान के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए सामाजिक जनसंचार माध्यमों (सोशल मीडिया) तथा सूचना तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा।
- राष्ट्रीय राजधानी तथा सभी राज्य की राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को निःशक्त जनों के लिए जुलाई 2018 तक पूरी तरह सुगम्य बनाया जाएगा।
- देश के सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाइअड्डों तथा A1, A और B श्रेणी के सभी रेलवे स्टेशनों को जुलाई 2016 तक निःशक्त जनों के लिए पूरी तरह सुगम्य बना दिया जायेगा।
- मार्च 2018 तक देश में सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक परिवहन वाहनों के कम से कम 10 प्रतिशत भाग को निःशक्त जनों के लिए सुगम्य बना दिया जाएगा।
- यह भी सुनिश्चित किया गया कि मार्च 2018 तक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी सभी दस्तावेजों के कम से कम 50 प्रतिशत को निःशक्त जनों के लिए सुगमता मानकों से युक्त कर दिया जाएगा।

VISION IAS

राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (कन्वेंशन)

- भारत निःशक्तजनों के अधिकारों पर, संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा सम्पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 के अनुसार राज्य निम्नलिखित सुविधाओं को उपलब्ध करायेगा।

✓ सार्वजनिक भवनों में रैम्प (चढ़ने-उतरने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढाल का प्रयोग करना)
✓ पहियायुक्त कुर्सी के प्रयोगकर्ताओं के लिए शौचालयों का प्रबन्ध।
✓ लिफ्ट या एलीवेटर्स में ब्रेल प्रतीक-चिह्न तथा ध्वनि संकेत।
✓ अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों तथा अन्य पुनर्वास केन्द्रों में रैम्प।

सरकारी पहलें तथा कुछ प्रस्तावित उपाय

- सरकार सम्पूर्ण देश में सुगम्य पुलिस स्टेशन, सुगम्य अस्पताल तथा सुगम्य पर्यटन क्षेत्रों का निर्माण करेगी।
- टेलीविजन कार्यक्रमों की सुगम्यता को बढ़ाने के लिए उनमें अनुशीर्षक, लिखे हुए को बोलने में बदलना (टेक्स्ट टू स्पीच) तथा श्रव्य विवरण जैसी विशेषताओं को सम्मिलित करना है।
- अगम्य क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु तथा क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म निर्मित करने के लिए मोबाइल एवं वेब एप्लीकेशन का निर्माण किया जाएगा।
- एक 'सुगम्यता सूचकांक' निर्माण की प्रक्रिया में है। इसके द्वारा निःशक्तजनों के लिए किसी प्रणाली की उपयुक्तता को मापा जाएगा।
- निःशक्त जनों के लिये प्रयुक्त 'विकलांग' शब्द के स्थान 'दिव्यांग' शब्द का प्रयोग प्रस्तावित है।
- मूक और बधिर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग संस्थान तथा नयी ब्रेल भाषा का निर्माण।
- सरकार ने 1700 करोड़ रुपये की लागत से निःशक्तजनों के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है।

C.6. अनुभव

(Anubhav)

- 'पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग' द्वारा 'अनुभव' नामक ऑनलाइन साफ्टवेयर जारी किया गया है।
- इसके द्वारा सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके माध्यम से उनके अनुभवों को साझा भी किया जा सकेगा।
- इसमें सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों द्वारा रिकार्डेड वॉइस मैसेज अपलोड किये जाने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
- दीर्घकालिक रूप से यह सॉफ्टवेयर अनुभव एवं ज्ञान के अद्भुत कोष के रूप में विकसित होगा। जहाँ उत्कृष्ट विचारों को नवीन परिस्थितियों में दोहराया जा सकेगा एवं संगठनिक दक्षता को बढ़ाया जा सकेगा।

VISION IAS

D. SC/ST/OBC

D.1 सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011

(Socio-Economic Caste Census-2011)

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, 1931 के बाद से पहली जनगणना है जिसमें जाति का विवरण भी लिया जा रहा है।
- ग्रामीण परिवारों के आंकड़ों के लिए, जनगणना को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है: जिन्हें अनिवार्यतः बाहर रखा जाना है; जिन्हें अनिवार्यतः शामिल किया जाना है; और जो इन दोनों श्रेणियों के बीच में आते हैं। इसके बाद इन्हें सात अभाव मानदंडों के आधार पर आंका गया है।

✓ बिना आवास वाले परिवार, भिक्षा पर बसर करने वाले, मैला ढोने वालों, आदिम जनजातीय समूह और कानूनी तौर पर छुड़ाए गए बंधुआ मजदूर को **अनिवार्यतः शामिल किया जाना है**। इस आंकड़े को 1% से कम रखा गया है।

✓ अनिवार्यतः बाहर रखे जाने वालों में वे परिवार शामिल हैं जिनके पास निम्न में से कुछ भी हो: मोटर चलित वाहन, यंत्रीकृत कृषि उपकरण, 50,000 रुपये से ज्यादा की सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें वे परिवार भी आते हैं जिनका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो या 10,000 रुपये प्रति महीने से अधिक कमाता हो, या आयकर प्रदाता हो। इसमें ऐसे

परिवार भी आते हैं जो तीन या अधिक कमरे वाले पक्के घर में रहते हैं, या घर में फ्रिज हो, या टेलीफोन हो या सिंचित भूमि हो।

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर 24.39 करोड़ परिवारों के आंकड़े लेगी, जिनमें से 6.48 करोड़ परिवारों को अनिवार्य रूप से बाहर रखा गया है। इस प्रकार, केवल 17.91 करोड़ ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है।

अभाव की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए सात सामाजिक-आर्थिक मानक

2011 में भारत की ग्रामीण आबादी की लगभग 19% आबादी के पास निम्न सात सामाजिक-आर्थिक मानकों में से कम से कम एक की कमी थी-

1. बिना पक्की दीवार और छत के साथ केवल एक ही कमरे का घर,
2. 15-59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य ना होना,
3. महिला प्रधान घर में 15-59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष ना होना,
4. विकलांग सदस्य या असक्षम शरीर सदस्य वाले परिवार,
5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार,
6. 25 वर्ष की आयु से ऊपर का कोई साक्षर सदस्य ना होना,
7. भूमिहीन परिवार जिनकी आय का मुख्या हिस्सा अनौपचारिक श्रम से आता हो

VISION IAS

रिपोर्ट के निष्कर्ष

जनांकिकी:

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति जनसंख्या: ग्रामीण परिवारों में से 21.53% अनुसूचित जाति और जनजाति के थे।
- महिलायें: भारतीय ग्रामीण आबादी में करीब 48% महिलायें हैं।
- ट्रांसजेंडर: उच्चतम न्यायालय ने 2014 में तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडरों को मान्यता दी थी। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी में 0.1% ट्रांसजेंडर हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और मिजोरम में किन्नरों की जनसँख्या ज्यादा है।

आय और रोजगार:

- लगभग एक तिहाई ग्रामीण परिवारों में अभी भी आय का एक निश्चित स्रोत नहीं है और वे एक कमरे के कच्चे मकानों में रह रहे हैं। जनगणना द्वारा आंकलित 17.91 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से ऐसे परिवार 31.26% हैं। ऐसे परिवारों को अब 'गरीब परिवार' माना जाएगा और गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मिलने वाले लाभ दिए जायेंगे।
- 35 लाख परिवार बिना किसी आय वाले हैं, 1 लाख परिवार भीख माँग कर जीवित हैं और 43,000 परिवार कूड़ा बीनकर जीवन यापन करते हैं।
- ग्रामीण परिवारों में 30% भूमिहीन हैं और अपनी आय का एक प्रमुख हिस्सा अनौपचारिक श्रम से पाते हैं। 10% से भी कम के पास वेतन वाली नौकरियों हैं।
- परिवारों के राज्यवार डेटा के संदर्भ में, जिनकी मासिक आय 5,000 रुपये से भी कम है और एक कमरे के कच्चे घर में रहते है, **मध्य प्रदेश सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है**। मध्यप्रदेश में 24% ग्रामीण परिवार गरीब हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ और बिहार का नंबर आता है जहाँ क्रमशः 21% और 19% ग्रामीण परिवार गरीब हैं।

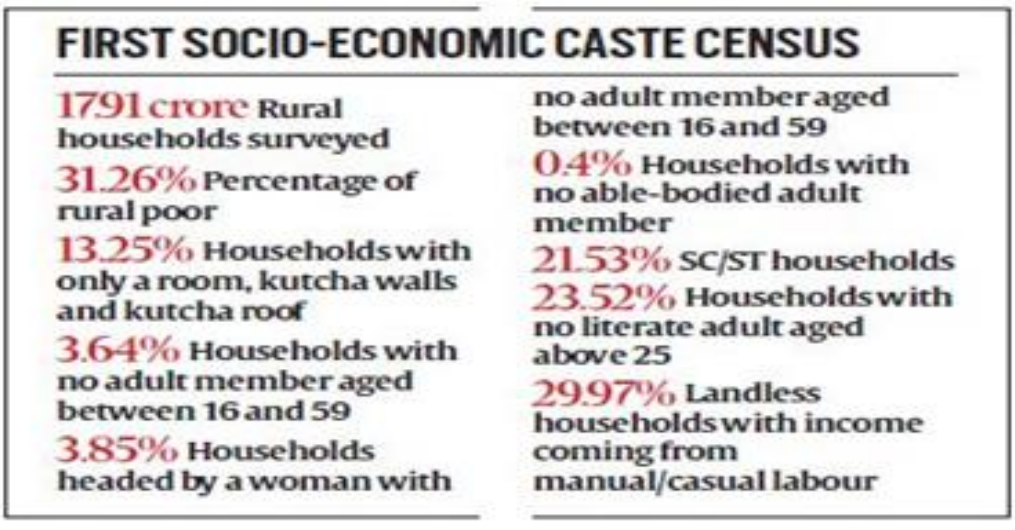

VISION IAS

साक्षरता:

- ग्रामीण भारत में 88 करोड़ लोगों में से 36% अनपढ़ हैं। यह 2011 की जनगणना के द्वारा दर्ज 32% से अधिक है।
- 64% साक्षर ग्रामीण भारतीयों में से 20% से अधिक ने प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं की है। ग्रामीण भारत से केवल 5.4% ने हाई स्कूल की पढाई पूर्ण की है और मात्र 3.4% कॉलेज से स्नातक हुए हैं।
- 23.5% ग्रामीण परिवारों में 25 वर्ष की आयु से ऊपर कोई वयस्क साक्षर नहीं है।

साधारण सुविधाएं:

- 50 लाख परिवारों को पीने का पानी लेने घर से दूर जाना पड़ता है।
- 20 लाख परिवारों के पास बिजली की आपूर्ति नहीं है और उनके पास पक्के शौचालय नहीं हैं (जहां टॉयलेट सीट और नाली के बीच पानी एक बाधा के रूप में कार्य करता है)।
- ग्रामीण परिवारों के लगभग 28% के पास अभी भी लैंडलाइन फ़ोन या मोबाइल फ़ोन नहीं है।
- सिर्फ 20% लोग ही किसी वाहन के मालिक हैं।
- सिर्फ 10% के पास रेफ्रिजरेटर है।
- केवल 20.6% परिवारों के पास "मोटर चालित दो / तीन / चार पहिया वाहन है"।

विविध:

- 41.6% ग्रामीण भारतीय अविवाहित हैं, 40% शादीशुदा हैं और 3.5% तलाकशुदा हैं। पुडुचेरी और केरल में विधवाओं का उच्चतम अनुपात है, क्रमश: 6% और 5.5%।
- ग्रामीण भारत में औसत घरेलू सदस्य संख्या पांच है, और उनमें से केवल 12.8% परिवार महिला प्रधान हैं। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 40% परिवार महिला प्रधान हैं।
- देश भर में ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.62% के पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है। 5% से कम के ही पास कोई कृषि उपकरण है।

निष्कर्ष:

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना द्वारा दिए गये अभाव ग्रस्त परिवारों के आंकड़े तत्कालीन योजना आयोग के गरीबी के आंकड़ों से भिन्न हैं। योजना आयोग के आंकडें आय पर आधारित थे। आयोग के अंतिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत की 25.7% ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रही थी, मतलब की उनकी प्रति व्यक्ति मासिक आय 816 रूपए से कम थी।
- जनगणना के निष्कर्ष रंगराजन समिति के निष्कर्ष के समान ही हैं। समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 30.95% और शहरी क्षेत्रों में 26.4% था। रंगराजन रिपोर्ट में कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन 32 रुपये से कम खर्च करने वाले लोगों को गरीब माना जाएगा।

VISION IAS

- ये निष्कर्ष राज्यों और केंद्र के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए आधार के रूप काम करेंगे। ये निष्कर्ष लक्षित समूहों को समर्थन देने और और उनके लिए नीति नियोजन के लिए आधार बनेंगे।

D.2. वन अधिकार अधिनियम कार्यान्वयन का मुद्दा

(FOREST RIGHTS ACT IMPLEMENTATION ISSUES)

सुर्खियों में क्यों ?

ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा वन अधिकार अधिनियम के कथित उल्लंघन की रिपोर्ट से वन अधिकार अधिनियम का मुद्दा सुर्खियों में आया है।

वन अधिकार अधिनियम क्या है?

- 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम' या 'वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम; 2006 में अस्तित्व में आया तथा इस अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय जनजातीय मामलों का मंत्रालय है।
- इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वनवासियों जो पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं किन्तु जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं दी जा सकी है, के वन अधिकारों और उपजीविका को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है।
- यह केवल ग्राम सभा की सिफारिश पर वन भूमि के अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
- इसके अलावा आजीविका के लिए स्वयं कृषि कार्य करने के अधिकार, लघु वनोपज पर अधिकार, 'निस्तार' जैसे सामुदायिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।

D.3. राष्ट्रीय जनजातीय सलाहकार परिषद

(NATIONAL TRIBAL ADVISORY COUNCIL)

- सरकार ने आदिवासी कल्याण योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जनजातीय सलाहकार परिषद गठित करने का फैसला किया है।
- परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और वर्ष में एक या दो बार परिषद् की बैठक होगी।

जनजाति सलाहकार परिषद (TAC)

- संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार, प्रत्येक राज्य में जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है एक TAC का गठन होगा, और यदि राष्ट्रपति निर्देश देते हैं तो ऐसे राज्य में भी एक TAC होगी जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ हैं लेकिन वहाँ गैर-अनुसूचित क्षेत्र है।

TAC की संरचना

- पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, TAC में सदस्य संख्या 20 से अधिक नहीं होना चाहिए जिनमें से, तीन-चौथाई के लगभग सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे।

VISION IAS

TAC की भूमिका

- राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामलों पर सलाह देना जो राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किये जाएं।

राज्यों द्वारा गठित TAC के विवरण

- दस अनुसूचित क्षेत्र राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना और दो गैर-अनुसूचित क्षेत्र राज्यों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जनजाति सलाहकार परिषद का गठन कर दिया गया है। गैर-अनुसूचित क्षेत्र राज्य उत्तराखंड को भी राज्य में TAC के गठन के लिए माननीय राष्ट्रपति के निर्देश से अवगत करा दिया गया है।

D.4. व्यक्तियों द्वारा मैला ढोने पर नया कानून

(NEW MANUAL SCAVENGING LAW)

- जुलाई में प्रकाशित नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि देश में **1,80, 657 परिवार और 7.84 लाख लोग** अब भी अपने जीविकापार्जन के लिए मैला ढोने के अपमानजनक कार्य में संलग्न हैं।
- महाराष्ट्र में 63,713 परिवार मैला ढोने में कार्यरत्त हैं और जनगणना आंकड़ों के अनुसार ऐसे लोगों की सर्वाधिक संख्या के साथ यह राज्य पहले स्थान पर है। इसके बाद मध्यप्रदेश, उतरप्रदेश, त्रिपुरा और कर्नाटक आते हैं।

मैला ढुलवाना निषेध एवं मैला ढोने वालों का पुनर्वास अधिनियम 2013 की विशेषताएं:

1. इस अधिनियम ने *मैला ढोने वाले व्यक्तियों की परिभाषा* में विस्तार का प्रयास किया गया है।
2. इस अधिनियम के लागू होने के *9 माह* के भीतर प्रत्येक अस्वास्थ्यकर शौचालय को गिरा दिया जायेगा या उन्हें स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।
3. यह विषय केन्द्रीय सूची (प्रविष्टि 97) के अंतर्गत आता है।
4. इसे कार्यान्वित कराने का दायित्व *सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय आयोग* को सौंपा गया है।
5. लगभग 2 लाख मैला ढ़ोने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए उन्हें *एकमुश्त नकद राशि* सहायता और अन्य वैकल्पिक जीविकोपार्जन साधनों हेतु प्रशिक्षण के दौरान 3000 रूपये प्रतिमाह दिए जायेंगे। परिवार के कम से कम एक सदस्य को रियायती दर पर ऋण और गृह निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
6. सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों की सुनिश्चितता का दायित्व स्थानीय सरकार को सौंपा गया है।
7. किसी को मैला ढ़ोने के काम पर लगाने वालों के लिए *पहले से अधिक कठोर दंड* का प्रावधान किया गया है, जिसमें 50,000 रूपये या/और एक वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए जोखिमपूर्ण प्रकिया अपनाने पर 2 लाख रूपये का आर्थिक दंड और 2 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जा सकता है।

VISION IAS

D.5. संशोधित अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के लिए नियम

(Rules for Amended SC/ST Act)

सुर्खियों में क्यों?

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में संशोधित अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने दिसम्बर, 2015 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन किया था।
- संशोधन का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाना था।
- साथ ही अत्याचार के पीड़ितों को उदार और शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए तथा महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में विशेष संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया था।

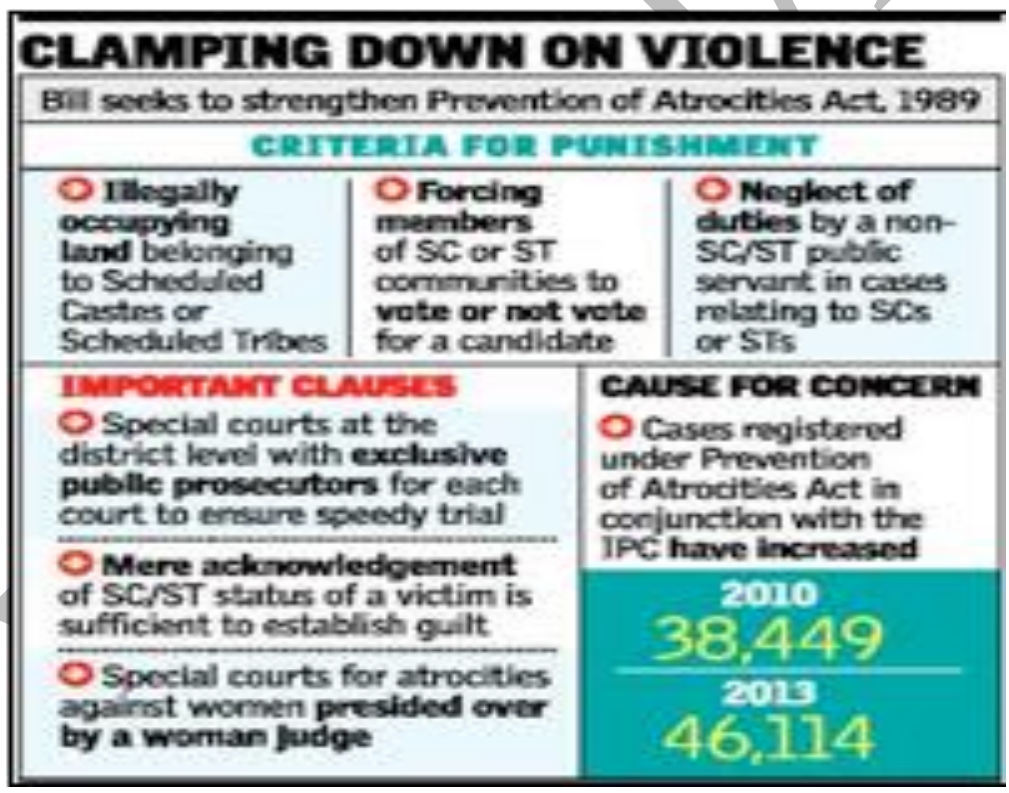

महत्वपूर्ण प्रावधान

- संशोधित प्रावधानों ने राहत पैकज को 75000 से 7,50,000 तथा 85000 से 8,50,000 तक बढ़ा दिया है जो अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा।
- इसके अलावा गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को राहत प्रदान की जाएगी चाहे अंत में उनके द्वारा लगाये गए आरोप सत्यापित ना हों।
- इस कानून की न्याय प्रदान करने में सक्षमता की जाँच करने हेतु राज्य, जिला और उपसंभाग स्तरीय समितियों की बैठकों में नियमित समीक्षा करना।

- 60 दिनों के भीतर जाँच पूरी करना और आरोप-पत्र दाखिल करना।
- पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिनों के भीतर राहत का प्रावधान।
- इसके अलावा बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए पहली बार राहत के प्रावधान किये गए हैं।
- गैर-हमलावर अपराधों जैसे यौन उत्पीड़न, महिलाओं के शील का अपमान करने के उद्देश्य से किये गए इशारों या कार्य, के संबंध में राहत प्राप्त करने के लिए किसी चिकित्सकीय जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।
- अत्याचारों की सूची में नए अपराधों जैसे सिंचाई सुविधाओं का उपयोग न करने देना, वन अधिकार की प्राप्ति में बाधक बनना आदि को सम्मिलित किया गया है।

D.6 'बुल्टू रेडियो' प्रयोग

(Bultoo Radio Experiment)

- "बुल्टू रेडियो" आदिवासियों द्वारा छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सूचना साझा करने और शासन को बेहतर बनाने की लिए ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग है। यहाँ आदिवासी ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग कर ऑडियो और वीडियो फ़ाइलों को अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रौद्योगिकी ने शासन (गवर्नेंस) में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- स्थानीय लोगों की शिकायतें उनकी स्थानीय भाषा में मौखिक रूप से मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर सभी संदेशों को ब्लूटूथ के माध्यम से एक ही फोन में एकत्र करके ग्राम पंचायत कार्यालय में ले जाया जाता है।
- इसके बाद इस संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से एक केंद्रीय कंप्यूटर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ इन संदेशों का हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। अब इन संदेशों को उपयुक्त अधिकारियों तक पहुँचा दिया जाता है और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाता है।

D.7. भारत में आरक्षण

(Reservation in India)

सुर्खियों में क्यों?

- राजस्थान में गुर्जर, आंध्र प्रदेश में कापू, गुजरात में पटेल और हरियाणा में जाट समुदाय के लोग उन्हें OBC श्रेणी में शामिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वे कोटा प्रणाली का लाभ उठा सकें।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 15(3)** - राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 15(4)** - राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- **अनुच्छेद 16(4)** - राज्य नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है।

- **अनुच्छेद 46** - इस अनुच्छेद का संबंध अनुसूचित जातियों, जनजातियों, और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से है।

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले

- **मंडल कमीशन मामला:** इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुल सुरक्षित कोटा को 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित किया है और अन्य पिछड़ी जातियों के उन्नत भाग (क्रीमी लेयर) को आरक्षण के लाभ से अपवर्जित किया है।
- **न्यायमूर्ति ओ. चिनप्पा रेड्डी** के द्वारा दिये गये वर्ष 1985 के फैसले में कहा गया कि उच्च वर्गों के द्वारा 'दक्षता' को आवरण के रूप में इस्तेमाल कर, पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित लाभों को नहीं उठाया जा सकता। इससे उच्च पदों और व्यावसायिक संस्थानों में वर्ग विशेष का एकाधिकार बना रहेगा।
- **जाट आरक्षण:** सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किया है कि 'जाति' और 'ऐतिहासिक अन्याय' को आरक्षण प्रदान करने के एक मात्र मानक नहीं नही है। राज्य 'किन्नरों' जैसे समूहों को भी समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए वर्तमान आरक्षण प्रदान कर सकता है।

भारत में आरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

- समाज के वंचित वर्ग के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एवं
- शैक्षिक और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर भेदभाव में कमी लाने के लिए।

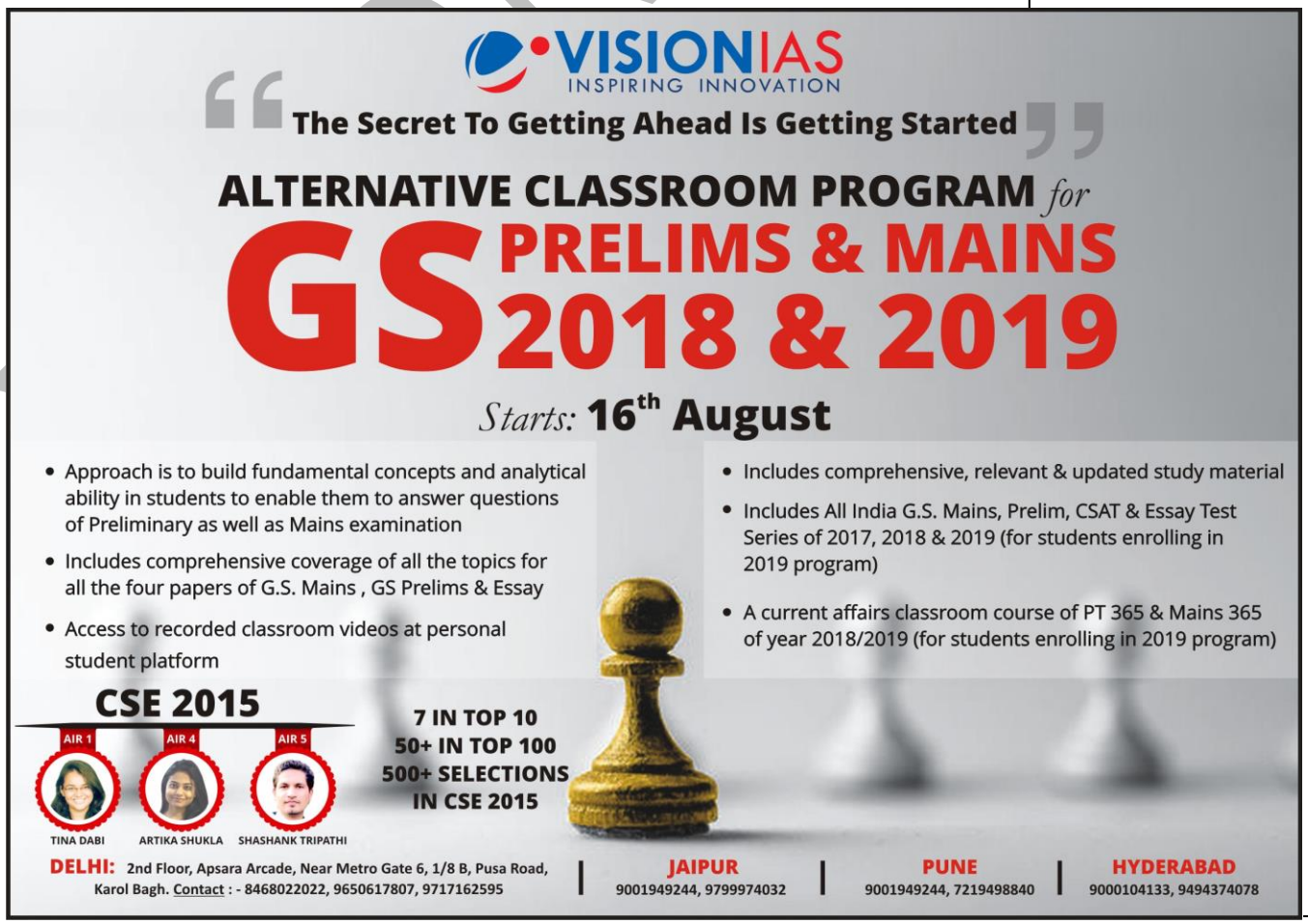

E. शिक्षा

E.1 शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अप्रभावी कार्यान्वयन

(Poor Implementation of RTE Act)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- राष्ट्र की स्थिति: शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (c)' रिपोर्ट शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम की धारा 12 (1) (c) के क्रियान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालती है।
- यह रिपोर्ट भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के RTE संसाधन केंद्र, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव (सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च) और कानूनी नीति के लिए विधि केंद्र (VIDHI CENTER FOR LEGAL POLITY) का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (c) क्या है?

- आरटीई की धारा 12 (1) (c) निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक और आवासीय स्कूलों को छोड़कर) को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए, प्रवेश के स्तर पर 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य करती है।
- इसका उद्देश्य शिक्षा के अवसर बढ़ाना और समावेशी स्कूली शिक्षा प्रणाली बनाना है।

E.2 मिड-डे मील नियम, 2015 की अधिसूचना जारी

(Mid-Day Meal Rules, 2015 Notified)

नियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- पहली से आठवीं कक्षा में पढने वाले छः से चौदह वर्ष का प्रत्येक बच्चा जिसने नामांकन करवाया है और स्कूल जाता है, उसे छुट्टी के दिन को छोड़ कर प्रतिदिन प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानक का गर्म पकाया हुआ भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
- मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत अधिदेशित स्कूल प्रबंधन समिति (SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE) बच्चों को प्रदान किये जा रहे भोजन की गुणवत्ता, खाना पकाने की जगह की साफ-सफाई और मिड-डे मील योजना के क्रियान्वयन में स्वच्छता रखे जाने की निगरानी भी करेगा।
- स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को खाद्यान्न, खाना पकाने की लागत आदि की अस्थायी अनुपलब्धता की स्थिति में मिड-डे मील योजना को जारी रखने के उद्देश्य से स्कूल में उपलब्ध किसी भी फंड का उपयोग करने का प्राधिकार दिया जाएगा।

VISION IAS

- बच्चों को प्रदान किये जाने वाले गर्म और पकाए हुए भोजन का मूल्यांकन, राजकीय खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला (GOVERNMENT FOOD RESEARCH LABORATORY) या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत प्रयोगशाला में किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि भोजन पोषक तत्व और गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरता है।
- राज्य का खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग पोषक मूल्य और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूने एकत्र कर सकता है।
- खाद्यान्न, खाना पकाने की लागत या ईंधन की अनुपलब्धता अथवा कुक-सह-सहायक की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अगर किसी भी स्कूल में मिड-डे मील प्रदान नहीं किया गया है, तो राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा भत्ते का अगले महीने की 15 तारीख तक भुगतान किया जाएगा।

E.3 केरल 100% साक्षरता प्राप्त करना वाला पहला राज्य बना

(Kerala Becomes the First to Achieve 100% Literacy)

- केरल 100 प्रतिशत प्राथमिक साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
- यह "राज्य साक्षरता मिशन- अतुल्यम" के प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने हेतु मुहिम के माध्यम से हासिल हुआ है।

अतुल्यम के विषय में:

- इसे मार्च 2013 में शुरू किया गया था और इसे दो चरणों में पूरा किया गया है।
- इसने उन लोगों की पहचान की जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की थी।
- कार्यक्रम का उद्देश्य 15 से 50 की आयु वर्ग के लोगों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था।
- इसके बाद इन लोगों को पांच माह का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे चौथी कक्षा (FOURTH EQUIVALENCY) की परीक्षा में भाग लेने के सक्षम बन सके।
- इस कार्यक्रम के तहत दो लाख लोगों को पंजीकृत किया गया।

E.4 भारतीय संस्थानों के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क

[Institutional Ranking Framework (NIRF)]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा (NIRF) जारी किया है।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है?

- इस फ्रेमवर्क ने देश भर के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग हेतु अपनायी जाने वाली पद्धति की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

- हालांकि रैंकिंग फ्रेमवर्क सभी के लिए समान हैं लेकिन इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्य पद्धति (DOMAIN SPECIFIC) अपनाई जाएगी। इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों के लिए रैंकिंग पद्धति घोषित की जा चुकी है जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए शीघ्र ही घोषणा की जाएगी |
- यह फ्रेमवर्क भारतीय दृष्टिकोण का पालन करती है। यह अध्यापन, अध्ययन और अनुसंधान में उत्कृष्टता के अलावा भारत केंद्रित मानकों को सम्मिलित करती है, जैसे- विविधता एवं समावेशन।

ये सभी मापदंड इन पांच शीर्षकों के अन्तर्गत आते है:-

1. शिक्षण अधिगम और संसाधन– ये मापदंड सीखने की किसी भी स्थिति की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित हैं। ये युवा व्यक्तियों के विकास हेतु प्राध्यापकों की संख्या और गुणवत्ता, पुस्तकालय, प्रयोगशाला संसाधन और सामान्य सुविधाओं को मापने पर बल देता है।

2. अनुसंधान, परामर्श और सहयोगात्मक प्रदर्शन– ये मानक अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस, IPR सृजन और उद्योग तथा साथी पेशेवरों के साथ इंटरफ़ेस के माध्यम से अनुसंधान की मात्रा और गुणवत्ता मापने का प्रयास करता है।

3. स्नातक उपलब्धियां- यह मानदंड कोर अध्यापन/सीखने की अभिक्रिया की प्रभावशीलता का आधारभूत मापन करता है और स्नातक उत्तीर्ण छात्रों की दर और उनके द्वारा इंडस्ट्री या प्रशासन में उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने या उच्च शिक्षा के लिए आगे अध्ययन करने की गतिविधियों का मापन करता है।

4. पहुँच और समावेशिता- रैंकिंग फ्रेमवर्क महिलाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों का छात्र और अध्यापक दोनों समूहों में समावेशन करने पर विशेष बल देता है, साथ ही संस्थान की समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुँच (OUTREACH) को भी महत्व देता है।

5. धारणा- रैंकिंग कार्यप्रणाली अपने हितधारकों द्वारा संस्थान के विषय में धारणा को भी काफी महत्व देता है। यह हितधारक सर्वेक्षण के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

NIRF की उपयोगिता

- यह माता पिता, छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के वस्तुनिष्ठ मानकों के एक सेट द्वारा और एक पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने में सक्षम होगा।
- यह संस्थानों की रैंकिंग के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उत्पन्न करेगा।
- वैसे संस्थान जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में काम कर रहे है और जिन्होंने हाल के दिनों में अपेक्षाकृत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, वे काफी लाभान्वित होंगे।
- यह फ्रेमवर्क भारतीय संस्थानों को, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पूर्वाग्रह से मुक्त एक प्रतियोगी मंच प्रदान करती है।

E.5 अटल नवोन्मेष मिशन

(Atal Innovation Mission)

- नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवोन्मेष मिशन (AIM) एक नवोन्मेष प्रोत्साहन प्लेटफोर्म है।
- इसमें अनुसंधान और विकास के लिए 150 करोड़ की प्रारंभिक राशि वाले कोष की व्यवस्था है।
- इसमें उद्योग से जुड़े लोग, शिक्षाविद, उद्यमी, शोधकर्ता और अन्य महत्वपूर्ण प्लेयर्स या हितधारकों को सम्मिलित किया गया है।
- राष्ट्रीय नवोन्मेष मिशन भारत के पारंपरिक ज्ञान के आधार को और अधिक समृद्ध बनाने नवाचार को बढ़ावा देगा।

E.6 राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

(Rashtriya Avishkar Abhiyan)

- राष्ट्रीय आविष्कार अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक अनूठी संकल्पंना है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में उत्सुकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना तथा विज्ञान व गणित विषयों के लिए रूचि उत्पन्न करना है।
- राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत, IITs/IIMs/ IISERs जैसे संस्थानों और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा नवोन्मेषी कार्यक्रमों के आयोजन, जैसे-विद्यार्थियों का आदान-प्रदान, प्रदर्शनी का आयोजन, विद्यार्थियों का भ्रमण कार्यक्रम इत्यादि द्वारा सरकारी स्कूलों का मार्गदर्शन किया जाएगा। इससे छात्रों में विज्ञान और गणित विषय के प्रति स्वाभाविक उत्साह और रूचि का विकास होगा।

VISION IAS

E.7 शैक्षणिक नेटवर्क की वैश्विक पहल

(GLOBAL INITIATIVE OF ACADEMIC NETWORKS, GIAN)

- लक्ष्य: अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
- देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्प्रेरित करने के लिए ज्ञान (GIAN) की परिकल्पना की गई है, और आरंभ में इसमें सभी IITs, IIMs, केंद्रीय विश्वविद्यालय, IISc BANGALORE, IISERs और NITs सम्मिलित होंगे और आगे चलकर उत्कृष्ट राज्य विश्वविद्यालयों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
- रूस, जापान, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे 38 देशों के विभिन्न संकायों (फैकल्टी) द्वारा पाठ्यक्रम संचालन किया जायेगा और वे भारतीय संस्थानों में अनुसंधान भी करेंगे।
- मेजबान संस्थान के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम निशुल्क हैं, दूसरी संस्थाओं के छात्रों के लिए नाममात्र का शुल्क होगा और साथ ही सीधा वेब प्रसारण भी होगा।
- बाद में इन व्याख्यानों को स्टडी वेब्स ऑफ़ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM), MOOCs प्लेटफोर्म और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के माध्यम से देश भर के छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण और ऑनलाइन आंकलन के लिए आई.आई.टी. खड़गपुर ने वेब पोर्टल (GIAN.IITKGP.AC.IN) भी डिजाइन किया है।
- आई.आई.टी. खड़गपुर इस प्रमुख कार्यक्रम का नोडल संस्थान और राष्ट्रीय समन्वयक है।

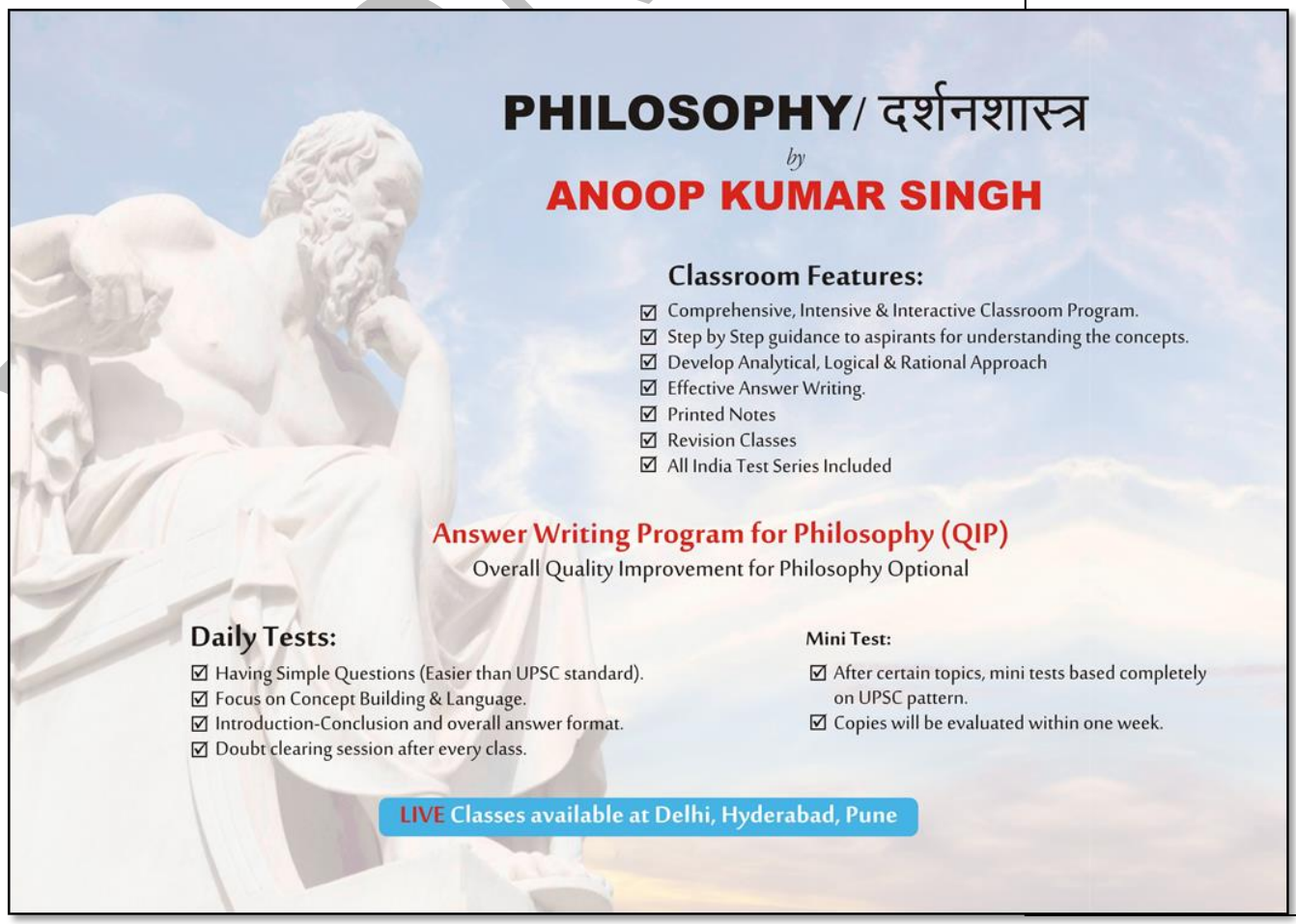

F. स्वास्थ्य

F.1.राष्ट्रीय डिवार्मिंग पहल

(National Deworming Initiative)

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डिवार्मिंग पहल प्रारंभ की गयी।

उद्देश्य:

- इस पहल का उद्देश्य 1 से 19 वर्ष की उम्र के 24 करोड़ से अधिक बच्चों की आंतों के कीड़े से रक्षा करना है। 'पोलियो मुक्त' दर्जा मिलने के उपरांत, भारत अब 'डिवर्मिंग' होने का दर्जा प्राप्त करने के लिए बच्चों के आंत्र परजीवी कीड़ों की समाप्ति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता है।
- इस कार्यक्रम के पहले चरण में ग्यारह राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों - असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा के लगभग 14 करोड़ बच्चों को शामिल किया जाएगा; तथा दूसरे चरण में करीब 10 करोड़ बच्चों को शामिल किया जायेगा।
- सभी लक्षित बच्चों को अल्बेंडाजोल (Albendazole) गोलियां दी जाएँगी; 1-2 वर्ष के बच्चों को आधी गोली तथा 2-19 वर्ष के बच्चों को पूरी गोली।
- इस पहल को स्वच्छता, सफाई, और स्वच्छ पेयजल उपलब्धता के साथ जोड़ा जाएगा।
- इस पहल से 'स्वच्छ भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

डिवार्मिंग क्या है?

- इसमें मनुष्य या जानवर को गोलकृमि (roundworm), हुककृमि (hookworms), फ्लूक (flukes) और टेपवर्म (tapeworm) जैसे परजीवियों से बचाने के लिए एक कृमिनाशक दवा (anthelmintic drug) दी जाती है।
- इस पहल के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिये एक व्यापक डिवर्मिंग अभियान को कृमि रोग के संबंध में निवारक तथा उपचार प्रक्रिया दोनों ही के रूप में प्रयोग किया जायेगा,जिसमें मृदा- प्रेषित कृमि रोग से बचाव भी सम्मिलित है।

F.2. मलेरिया के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क

(National Framework For Elimination Of Malaria)

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2016-2030** का शुभारंभ किया है, जो वर्ष 2030 तक इस रोग के उन्मूलन के लिए भारत की रणनीति को निर्धारित करेगा।

VISION IAS

उद्देश्य:

- सभी निम्न (श्रेणी 1) और मध्यम (श्रेणी 2) प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से वर्ष 2022 तक मलेरिया का उन्मूलन।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रति 1000 लोगों पर मलेरिया के मामलों को एक से भी कम करना तथा वर्ष 2024 तक 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मलेरिया का उन्मूलन।
- वर्ष 2027 तक सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (श्रेणी 3) में मलेरिया के संक्रमण को रोकना।
- जिन क्षेत्रों से मलेरिया ख़त्म हो गया है उन क्षेत्रों में मलेरिया के पुनःसंक्रमण की रोकथाम तथा वर्ष 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाना।

रणनीतिक दृष्टिकोण:

- मलेरिया की प्रभावशीलता देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न होने के कारण चरणबद्ध कार्यक्रम पर विचार किया गया है।
- API (Annual Parasite Incidence) को वर्गीकरण का प्राथमिक आधार मानते हुए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का वर्गीकरण (श्रेणी 0: पुन: संक्रमण की रोकथाम; श्रेणी 1: उन्मूलन चरण; श्रेणी 2: उन्मूलन पूर्व-चरण; श्रेणी 3: त्वरित नियंत्रण चरण) किया गया हैं।
- कार्यक्रम से संबंधित योजना के निर्माण और कार्यान्वयन की इकाई जिला होगा।
- अति प्रभावित स्थानीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना; और पी. वाईवैक्स (P. vivax) के उन्मूलन के लिए विशेष रणनीति।

F.3.पारंपरिक औषधि

(Traditional Medicine)

खबर में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले सहयोगी गतिविधियों पर समझौते के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

यह कैसे सहायक होगा?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ दीर्घकालिक सहयोग से आयुष प्रणाली की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ेगी और उसकी ब्रांडिंग में सुधार होगा।
- यह शिक्षा के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा।
- यह कार्यशालाओं और विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास और क्षमता निर्माण में मदद करेगा।
- यह सदस्य राज्यों के बीच आयुष का समर्थन और सूचना का प्रसार सुलभ बनाएगा।
- आयुष प्रणालियों के संदर्भ में **विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014-2023** के कार्यान्वयन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तीसरे पक्षों के साथ सहयोग में मदद मिलेगी।

VISION IAS

F.4. एन.पी.सी.डी.सी.एस. (NPCDCS) के साथ होम्योपैथी/योग का एकीकरण

(Integration of Homoeopathy/Yoga with NPCDCS)

- आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के अमरावती के निकट कृष्णा जिले के गुडिवाडा में 'कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघात के रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) के साथ 'होम्योपैथी / योग का एकीकरण करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित तत्वों के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से प्राथमिक रोकथाम प्रदान करके गैर संचारी रोगों (एन.सी.डी) के बोझ में कमी लाने में सहायता करना है-
  - स्वास्थ्य शिक्षा (योग सहित स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना),
  - गैर संचारी रोगों के संबंध में जल्द पहचान / निदान के लिए जनसंख्या की सामयिक स्क्रीनिंग
  - गैर संचारी रोगों के पूर्व प्रबंधन तथा उपचार के लिए होमियोपैथी को सहायक या एकल रूप में प्रयोग करना।

F.5.राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

(National Family Health Survey)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे दौर की रिपोर्ट का पहला भाग जनवरी 2016 में जारी किया गया। इसके अन्तर्गत केवल 13 राज्यों के आंकड़े शामिल हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्या है?

- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में किया जाने वाला सर्वेक्षण हैं। इसके अन्तर्गत परिवार व स्वास्थ्य के बारे में घरों और व्यक्तियों से जानकारी इकठ्ठा की जाती है,जो सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद प्रदान करता है। इस प्रकार यह एक व्यापक परिवार नमूना सर्वेक्षण है।
- यह भारत में विस्तृत स्वास्थ्य आकड़ों का मुख्य स्रोत है।

पृष्ठभूमि

- पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 1992-93 में हुआ था। तीसरा सर्वेक्षण वर्ष 2005-06 में हुआ था।
- अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) जो कि मुंबई में स्थित हैं यह इस सर्वेक्षण के लिए केन्द्रीय एजेंसी है।

VISION IAS

चौथे सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुख्य अंश

राज्य: इस रिपोर्ट में 13 राज्यों के आंकडें शामिल हैं - आंध्रप्रदेश, गोवा, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के साथ केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप तथा पुडुचेरी भी शामिल हैं।

शिशु मृत्यु-दर

- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शिशु मृत्यु-दर में कमी आई है। सभी राज्यों में यह प्रति हजार जन्म पर 51 मृत्यु से कम है।
- यह अंडमान में सबसे कम -प्रति हजार जन्म पर 10 मृत्यु और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा - प्रति हजार जन्म पर 51 मृत्यु है।

लिंगानुपात और महिला साक्षरता

- लिंगानुपात में ग्यारह में से नौ राज्यों में गिरावट आई है। ये राज्य हैं - गोवा, मेघालय, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, सिक्किम, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल।
- केवल उत्तराखंड में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। जबकि मेघालय में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ हैं।
- पिछले सर्वेक्षण की तुलना में इन सभी ग्यारह राज्यों में महिला साक्षरता में 12.5% तक की वृद्धि हुई है।
- गोवा 89% साक्षरता दर के साथ महिला साक्षरता दर की सूची में सबसे ऊपर है।

प्रजनन दर

- पहले की तुलना में अब प्रजनन दर में गिरावट आयी हैं। प्रजनन दर सिक्किम में सबसे कम 1.2 जबकि बिहार में सबसे ज्यादा है 3.4 है।
- बिहार, मध्य प्रदेश और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने या तो प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर (Replacement level) हासिल किया है या उसे बनाये रखा है।

संस्थागत प्रसव

- चिकित्सा संस्थान की देखरेख में होने वाले प्रसव में 32% की वृद्धि हुई है।
- बिहार में इसमें पहले से तीन गुना वृद्धि हुई है और हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में भी इसमें काफी वृद्धि देखी गई है।

टीकाकरण

- 12-23 महीनों के बच्चों के पूर्ण टीकाकरण में राज्यवार काफी भिन्नता है।
- 15 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से 12 में 60% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है।
- बिहार, मध्यप्रदेश, गोवा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मेघालय में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण में काफी वृद्धि हुई है।

पोषण

- पांच वर्ष से कम उम्र के अल्प विकसित बच्चों की संख्या में कमी आई है, जिसका मतलब बेहतर पोषण वाले भोजन का सेवन बढ़ा है।
- लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश और मेघालय में 40% से अधिक बच्चे अल्प विकसित हैं।

VISION IAS

- रक्ताल्पता (एनीमिया) में भी कमी आई है लेकिन फिर भी इसकी व्यापकता बनी हुई है। 15 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से 10 में आधे से अधिक बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं।
- प्रत्येक राज्य के पुरुषों और महिलाओं में मोटापे के स्तर में तेजी से वृद्धि देखी गई है जबकि पुद्दुचेरी इसका अपवाद है।

पानी और सफ़ाई व्यवस्था

- भारतीय परिवार अब और बेहतर पेयजल और सफाई सुविधाओं का उपयोग करने के इच्छुक हैं।
- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के दो-तिहाई से अधिक परिवारों के लिए पहले से बेहतर पेयजल स्रोत उपलब्ध हैं।
- बिहार और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 50% से अधिक परिवारों के पास बेहतर स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध है।

तनाव: पिछले सर्वेक्षण के बाद से उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों की संख्या शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत में बढ़ी है।

बाल विवाह

- पिछले सर्वेक्षण के बाद से ग्यारह राज्यों में बाल विवाह में कमी आई है।
- महिलाओं और पुरुषों के बाल विवाह में क्रमशः 13.17% और 6.7% की कमी आई है।

एचआईवी के बारे में जागरूकता

- महिलाओं के बीच एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता के स्तर काफी कमी हुई है।
- मध्य प्रदेश में एचआईवी/एड्स के बारे में व्यापक ज्ञान रखने वाली महिलाओं का प्रतिशत 20.3% से घटकर 18.1% हो गया है।
- इसी तरह बिहार में भी यह 11.7% से घटकर 10.1% हो गया है।

महिला सशक्तिकरण

- बचत खाते का स्वयं उपयोग करने वाली 15-49 वर्ष के आयु समूह की महिलाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- गोवा में 82.8% महिलायें (सबसे अधिक) स्वयं वित्त प्रबंधन करती हैं। तमिलनाडु में इसमें पिछले सर्वेक्षण से 83% की वृद्धि हुई है।
- संपत्ति पर महिलाओं के मालिकाना हक़ के मामले में बिहार इस सूची में सबसे ऊपर है, यहां महिलायें 58% संपत्ति की मालिक हैं, जबकि पश्चिम बंगाल इस सूची में सबसे नीचे है।

F.6. एच.आइ.वी. एड्स

(HIV-AIDS)

- हाल ही में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री ने एच.आइ.वी. एड्स के विरुद्ध लड़ाई में मुख्य नीतिगत निर्णयों की घोषणा की तथा 2030 तक इस महामारी को समाप्त करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
- विश्व एड्स दिवस 2015 का मुख्य विषय-''ओन द फास्ट ट्रैक टू एंड एड्स''(on the fast track to end AIDS) थी।

VISION IAS

F.7. सूर्योदय परियोजना

(Sunrise Project)

- एड्स के उपचार के लिए भले ही सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि कर दी है फिर भी **इंजेक्शन से नशा करने वाले** लोग (IUD) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एचआईवी-एड्स के प्रसार के लिए मुख्य कारक बने हुए हैं।
- **पंचवर्षीय सूर्योदय परियोजना** का शुभारंभ किया गया है जिसका लक्ष्य् 20 प्राथमिकता प्राप्त जिलों में आई.यू.डी पर विशेष ध्यान देने के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में एच.आई.वी. के निवारण के लिए उपयुक्त कदम उठाना है।
- द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो कि अमेरिकी सरकार की एक संस्था है, इस कार्यक्रम में सहायता के दृष्टिकोण से कुछ नवोन्मेषी रणनीतियों को अपनाएगी, जैसे- दूरदराज के क्षेत्रों में सुरक्षित सुई व सीरिंज की उपलब्धता बढ़ाना, एचआईवी का समुदाय आधारित परीक्षण आदि।
- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- सरकार ने इसे केन्द्रीय क्षेत्र की योजना बनाने का निर्णय लिया है जिसमें समस्त निधि केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी।

F.8. इबोला महामारी का अंत

(End Of Ebola Epidemic)

पृष्ठभूमि

- इबोला वायरस बीमारी (EVD) मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर और घातक बीमारी है। इसे इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है।
- इबोला का विषाणु मानव में जंगली जानवरों के माध्यम से संचारित हुआ और मानव-से-मानव संचरण के माध्यम से मानव आबादी में फैला।
- सिएरा लियोन, गिनी और लाइबेरिया इबोला से सबसे अधिक प्रभावित देश थे।
- गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में स्वास्थ्य प्रणालियां बहुत कमजोर थीं और मानव तथा ढांचागत संसाधनों का अभाव था।

अफ्रीका में इस बीमारी की वर्तमान स्थिति क्या है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई 2015 में लाइबेरिया को इस रोग से मुक्त देश घोषित किया गया था और उसके बाद दो बार पुनः इस बीमारी के नए मामले सामने आये। जनवरी 2016 में लाइबेरिया को फिर से रोग मुक्त घोषित किया गया।
- नवंबर 2015 में सिएरा लियोन और गिनी को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वायरस से मुक्त घोषित किया गया था।

VISION IAS

विश्व स्वास्थ्य संगठन कैसे किसी देश को विषाणु से मुक्त घोषित करता है?

- आखिरी मामले में रक्त के नमूने की जांच दो बार नकारात्मक आने के बाद, देश को 42 दिनों की रोगोद्भवन (Incubation) अवधि से गुजरना पड़ता है। उसके बाद उस देश को रोग मुक्त घोषित किया जाता है।
- उसके बाद देश को 90 दिनों की उच्च निगरानी पर रखा जाता है।

F.9. मधुमेह

(Diabetes)

सुर्खियों में क्यों ?

इस वर्ष 7 अप्रैल को मनाये गए विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम था - 'बीट डायबिटीज' (Beat Diabetes)

मधुमेह क्यों ?

- WHO की रिपोर्ट और लांसेट अध्ययन से पता चलता है कि 1980 से 2014 के बीच मधुमेह के मामलों में चार गुना वृद्धि हुई है और उनमें से आधे मामले भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए गए हैं।
- भारत में 1980 में 11.9 मिलियन मधुमेह के मामले थे। यह संख्या 2014 में बढ़कर 64.5 मिलियन हो गयी है।
- 2030 तक भारत में विश्व के सर्वाधिक मधुमेह रोगी होंगे तथा यह "विश्व की मधुमेह राजधानी' होगा।

पृष्ठभूमि

- ब्लड शुगर के उच्च स्तर के कारण व्यक्ति मधुमेह का शिकार होता है। यह स्थिति इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन से या मानव शरीर के इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करने या दोनों कारणों से सम्बंधित हो सकती है। यह एक गैर संचारी रोग है।
- मधुमेह के विभिन्न प्रकारः **(i) टाइप 1.** इंसुलिन का उत्पादन नहीं होना या अत्यल्प होना, **(ii) टाइप 2:** शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, (iii) गर्भावस्था सम्बन्धीः गर्भावस्था के दौरान महिलाओं से संबंधित; और (iv) पूर्व-मधुमेहः इसमें ब्लड शुगर टाइप 2 जितना उच्च नहीं होता।
- **कारणः** तेजी से बढ़ता शहरीकरण, निष्क्रिय जीवन शैली और अस्वास्थ्यकर आहार। मोटापे की वजह से मधुमेह का जोखिम अत्यधिक बढ़ जाता है।
- **लक्षणः** सामान्य लक्षणों में अधिक पेशाब आना, भूख और प्यास का बढ़ जाना शामिल है।
- **प्रभावः** यह अंधापन, गुर्दे की विफलता या अंग क्षय, हृदयाघात का खतरा, गर्भावस्था की जटिलताओं में वृद्धि आदि जैसी स्थितियाँ पैदा कर सकता है।

VISION IAS

F.10. शहरी स्वास्थ्य पर वैश्विक रिपोर्ट

(Global Report on Urban Health)

सुर्खियों में क्यों ?

"शहरी स्वास्थ्य पर वैश्विक रिपोर्टः सतत विकास के लिए न्यायसंगत और स्वस्थ शहर" को हाल ही में WHO और संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम (UN-Habitat) द्वारा जारी किया गया था।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- यह रिपोर्ट यह प्रकट करती है कि शहरों में, स्वास्थ्य में प्रगति न केवल स्वास्थ्य प्रणालियों की सक्षमता पर निर्भर करती है, बल्कि स्वस्थ शहरी वातावरण पर भी निर्भर करती है।
- गैर संचारी रोग (NCD) वर्तमान मानव स्वास्थ्य के लिए केवल एक खतरा मात्र नहीं हैं बल्कि इसके महत्वपूर्ण आर्थिक निहितार्थ भी हैं।
- गैर-संचारी रोग जैसे हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर 2012-2030 की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.2 ट्रिलियन तक का नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- शहरीकरण और उससे जुड़ी जीवन शैली शहरों में गैर संचारी रोगों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकती है।
- शहरीकरण के लिए अपर्याप्त नियोजन, सामाजिक और पर्यावरणीय असंवहनीयता उत्पन्न कर रहा है।
- भारत और चीन में, हृदय और मानसिक स्वास्थ्य रोग सबसे बड़े आर्थिक खतरे उत्पन्न कर रहे हैं, इसके बाद मधुमेह और कैंसर जैसे रोग बड़े खतरे हैं।

F.11. कमजोर स्वास्थ्य सुरक्षा आवरण : भारत में स्वास्थ्य रिपोर्ट

(Poor Health Cover: Health In INDIA Report by NSSO)

सुर्खियों में

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने 'भारत में स्वास्थ्य' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
- इस रिपोर्ट में NSS के 71वें राउंड के जनवरी से जून 2014 के बीच एकत्रित किए गए आंकड़े शामिल हैं।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- भारत की 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का खराब प्रदर्शन -** केवल 12% शहरी तथा 13% ग्रामीण आबादी को ही बीमा कवर प्राप्त है।

VISION IAS

- बजट से बाहर व्यय में दवाओं का अत्यधिक योगदान- कुल स्वास्थ्य व्यय में से, ग्रामीण क्षेत्रों में 72% और शहरी क्षेत्रों में 68% व्यय गैर अस्पताल भर्ती उपचार के लिए दवाएं खरीदने हेतु किया गया था।
- निजी डॉक्टर इलाज का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं - ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किये गए उपचार का 72 प्रतिशत तथा और शहरी क्षेत्रों में 79 प्रतिशत निजी क्षेत्र द्वारा किया गया।
- निजी क्षेत्र के अस्पतालों में लोगों द्वारा उच्चतर व्यय किया गया - ग्रामीण आबादी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल में औसतन 5,636 रुपये खर्च करती है जबकि निजी क्षेत्र के अस्पताल में 21,726 रुपये खर्च करती है।

कमजोर स्वास्थ्य सुरक्षा आवरण की पृष्ठभूमि में निहित कारण

- वित्तीय बाधा - ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह सबसे बड़ी बाधा है।
- स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता - यह ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों के कम घनत्व और सरकारी अस्पतालों की ख़राब स्थिति के कारण एक बड़ा कारक है।
- दवाओं की बढ़ती लागत और सरकारी अस्पतालों में बजटीय आवंटन में कटौती ने दवाओं पर व्यय को बढ़ा दिया है।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य हेतु सरकारी आवंटन 1986-87 में 1.47% था जो 2015-16 में 1.05% तक गिर गया है।
- कमजोर वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता ने बीमा सुविधाओं की कवरेज को कम किया हैं।

F.12.हेल्थ केयर सिस्टम :लांसेट रिपोर्ट

(Healthcare System:Lancet Report)

चर्चा में क्यों हैं?

- लांसेट द्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत की स्वास्थ्य रक्षा के मामलें में ब्रिक्स देशों में सबसे बुरी स्थिति है।

लांसेट रिपोर्ट के अनुसार- भारतीय स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली 7 मुख्य चुनौतियों का सामना कर रही है

1. एक कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र
2. असमान रूप से वितरित कुशल मानव संसाधन
3. अविनियमित विशाल निजी क्षेत्र
4. स्वास्थ्य पर निम्न सार्वजनिक व्यय
5. खण्डित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली
6. दवाओं का अतार्किक प्रयोग तथा तेजी से बढ़ती कीमतें
7. कमजोर प्रशासन और जवाबदेही

VISION IAS

F.13.मानसिक स्वास्थ्य

(Mental Health)

भारत की मानसिक स्वास्थ्य नीति

- 10 अक्टूबर 2014 को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई। इस नीति के माध्यम से सबके लिए मानसिक देखभाल व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
- यह नीति, भारत के सभी निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होने से रोकने तथा मानसिक रुप से अस्वस्थ लोगों को पुनः उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता करने का प्रयास करती है।
- इस नीति के माध्यम से मानसिक रुप से अस्वस्थ लोगों को बोझ समझे जाने की सामाजिक भावना को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे लोगों के, सामाजिक रुप से पृथक्कीकरण और अलगाव की परिस्थितियों को समाप्त करने का प्रसास किया जाएगा।
- मानसिक स्वास्थ्य से ग्रस्त लोगों को आजीवन गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखाभाल व्यवस्था उपलब्ध कराकर उनके सामाजिक एकीकरण का प्रयास किया जाएगा।
- सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नीति सम्पूर्ण सुविधाओं को विधिक रुप से प्राधिकृत (Rights-based) व्यवस्था के रुप में उपलब्ध कराने का दृष्टिकोण समाहित करती है।

उद्देश्य - लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।

- मानसिक स्वस्थ्य की देखभाल सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे व्यक्तियों की व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं (रोकथाम सेवाओं, उपचार तथा देखभाल और सहायता सेवाओं सहित) तक पहुँच एवं उनके द्वारा इन सुविधाओं का सदुपयोग बढ़ाना
- विशेष रूप से बेघर व्यक्तियों, दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों, शैक्षिक, सामाजिक और वंचित समूहों सहित सुभेद्य वर्ग के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुँच में वृद्धि करना
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जुड़े जोखिम कारकों के प्रभाव और व्यापकता को कम करना
- समस्या से पीडित व्यक्तियों के द्वारा आत्महत्या करने अथवा इसका प्रयास करने जैसे मामलों को रोकना।
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान एवं उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति से सुरक्षा प्रदान करना ।
- मानसिक स्वास्थ्य पीड़ितों को बोझ समझने एवं इससे जुड़ी सामाजिक कलंक की भावना को दूर किया जाना
- मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता एवं उनका समतामूलक वितरण सुनिश्चित करना

VISION IAS

F.14.मिशन इन्द्रधनुष का द्वितीय चरण

(Mission Indradhanush Phase-2)

- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इन्द्रधनुष के द्वितीय चरण का प्रारंभ किया गया। इस चरण में 352 जिलों का चयन किया गया है। 33 जिलों का चयन पूर्वोत्तर राज्यों में से किया गया है जबकि 40 ऐसे जिलों को चुना गया है जहाँ टीकाकरण अभियान के दौरान ऐसे बच्चों की संख्या ज्यादा है तथा जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया है।

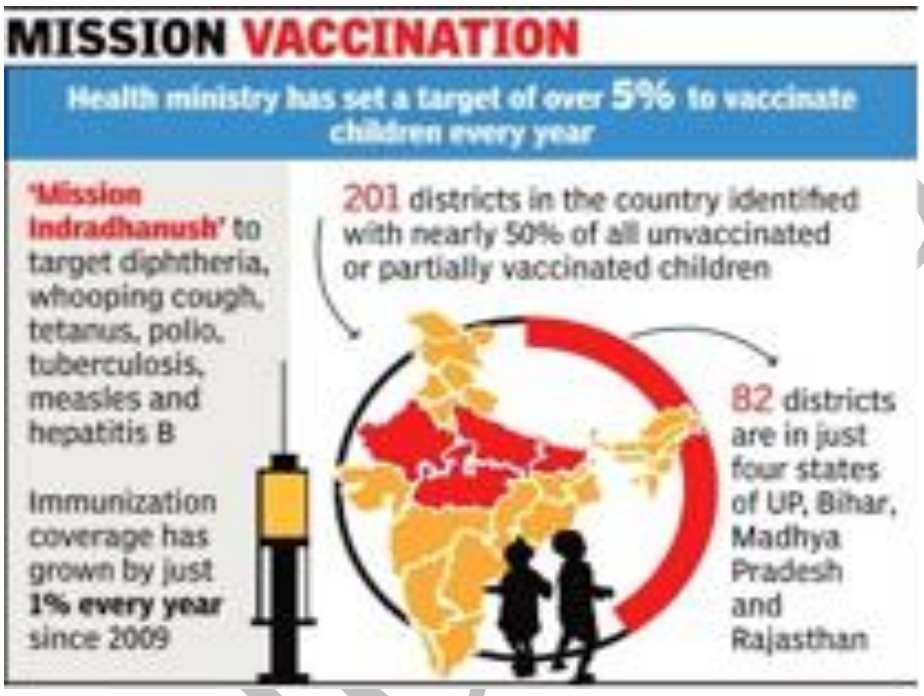

मिशन इन्द्रधनुष

- इस मिशन का उद्देश्य 2022 तक 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है।
- जिन रोगों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत टीका प्रदान किया जाएगा वह निम्नलिखित हैं -

✓ डिप्थीरिया
✓ काली खांसी
✓ पोलियों
✓ क्षय रोग
✓ हेपेटाइटिस बी
✓ खसरा
✓ टिटनेस आदिं।

- इन रोगों के अतिरिक्त, जापानी एनसेफलाइटिस तथा हीमोफिलस इन्फलुएन्जा जैसे रोगों के लिए भी कुछ जिलों में टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

<u>इन्द्रधनुष अभियान की प्रथम चरण की उपलब्धियाँ -</u>

- गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दो करोड़ से अधिक टीके लगाये गए।
- 75.5 लाख बच्चों का टीकाकरण किया गया।

- 20 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को टिटनेस का टीका लगाया गया।
- दस्त (diarrhoea) की समस्या से निपटने के लिए जिंक की गोलियाँ और ओ.आर.एस. के पैकेट वितरित किए गए।

F.15.प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

(Pm Swasthya Suraksha Yojna)

एम्स (AIIMS) के समान तीन और संस्थान स्थापित किए जाएंगे-

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में नागपुर, आन्ध्रप्रदेश में मंगलागिरी और पश्चिम बंगाल के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की भांति संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- मंत्रिमंडल के अनुसार एम्स जैसे संस्थानों की कुल संख्या ग्यारह तक पहुँचाई जाएगी।
- इन संस्थाओं की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत की जाएगी।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) - मुख्य विशेषताएं

- योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विविध भागों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में जो अंतर है उसे समाप्त करता है। यह विशेष रुप से विकास की मुख्य धारा में पिछड़े क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास है।
- योजना को मार्च 2006 में स्वीकृत किया गया था।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रथम चरण के दो मुख्य घटक हैं। पहला एम्स की भांति छः नए संस्थानों की स्थापना दूसरा पहले से संचालित 13 शासकीय चिकित्सा शिक्षण संस्थानों को उन्नत करके एम्स के स्तर का बनाना।
- योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत एम्स (AIIMS) की भांति दो अन्य संस्थान स्थापित किए जायेंगे तथा छह संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत कई अन्य शासकीय चिकित्सा शिक्षण संस्थानों (Medical College) का उन्नयन किया जाएगा।
- आशा की जाती है कि स्वास्थ्य सेवा के तीनों चरणों को सफलतापूर्वक संचालित किए जाने के पश्चात प्रत्येक नागरिक के लिए सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ सहजता के साथ उपलब्ध होंगी।

F.16.राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

(Rashtriya Swasthya Bima Yojana)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की सफलता एवं प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए आयोजित किए गए सर्वे से स्पष्ट होता है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव को दूर करने में पूर्णतया असफल रही है।

VISION IAS

रिर्पोट में उद्धाटित तथ्य

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत यद्यपि नामांकन की दर उच्च रही है किंतु स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों के खर्च का अनुपात बढ़ा है। वर्ष 2004-05 और वर्ष 2011-12 के बीच लोगों द्वारा अस्पताल में भर्ती आदि सुविधाओं पर खर्च की दर बढ़ी है।
- संसाधनों का अत्यधिक अपव्यय चिंता का विषय बना हुआ है।
- रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अनेक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की रुपरेखा में ही गंभीर कमियां हैं।इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि योजनाएं स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए निर्धारित त्रि-स्तरीय संरचना के अंतर्गत तीसरे और दूसरे स्तर की अस्पताल सेवाओं पर अत्यधिक केन्द्रित हैं। जबकि प्राथमिक स्तर उपेक्षित है ।
- रिपोर्ट से पता चलता है कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ पहले से ही समर्थ लोगों के द्वारा ही उठाया जा रहा है जबकि समाज के हाशिए पर उपस्थित वंचित वर्ग तक, इसके लाभ अब तक नहीं पहुंच पाए हैं।

F.17.राष्ट्रीय आरोग्य निधि

(Rashtriya Arogya Nidhi)

सुर्ख़ियों में क्यों-? सरकार ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है। इसे दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। यह योजना विशेष रुप से आपात शल्य चिकित्सा की आवश्यकता वाले लोगों के लिए लाभप्रद होगी।

- राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना वर्ष 1997 में की गई थी। आरोग्य निधि की स्थापना का उद्देश्य जीवन के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करने वाले रोगों जैसे हृदय रोग, गुर्दे, यकृत, कैंसर आदि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए स्थापित की गई थी।
- यह रोगियों को उच्च स्तरीय निजी और शासकीय चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने में सक्षम बनाती है।
- स्वीकृत सीमा से अधिक वित्तीय राशि की आवश्यकता की स्थिति में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।

F.18. प्रतिजैविकों की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, 2015

(STATE OF THE WORLD ANTIBIOTICS REPORT,2015)

- रिपोर्ट का प्रकाशन वाशिंगटन डी सी स्थित संस्था अर्थव्यवस्था, नीति तथा रोग परिदृश्य से संबंधित केन्द्र (Centre for Disease Dynamics, Economics - Policy) के द्वारा किया गया।यह रिपोर्ट पूरी दुनिया में बढ़ रहे एंटीबायोटिक प्रतिरोध से उत्पन्न गंभीर खतरे पर केन्द्रित है ।

- रिपोर्ट में यह गंभीर तथ्य उद्घाटित किया गया है कि उपचार के लिए प्रयोग की जा रही एण्टीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता घटती जा रही है। चाहे प्रारंभिक रुप से प्रदान की जाने वाली एण्टीबायोटिक दवाएं हो चाहे अंतिम रुप से, दोनों की ही प्रभावशीलता घटती जा रही है।
- विश्वभर में अलग-अलग एण्टीबायोटिक औषधियां प्रयोग की जाती हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि दुनियाभर में मधुमेह अलग-अलग रुपों में प्रभावी है।

एण्टीबायोटिक्स क्या हैं ?

- एण्टीबायोटिक अथवा प्रतिजैविक दवाएं जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए प्रदान की जाती हैं।
- वर्ष 1940 में इनकी खोज के पश्चात एण्टीबायोटिक औषधियाँ आधुनिक स्वास्थ्य चिकित्सा प्रणाली में इसको प्रधानता हैं। सामान्य बीमारियों से लेकर गंभीर रोगों तक के उपचार में इनका प्रयोग बढ़ा है। शल्य चिकित्सा का तो एक बड़ा आधार एण्टीबायोटिक औषधियाँ है।

एण्टीबायोटिक औषधियों के प्रति प्रतिरोधकता का विकास कैसे होता है ?

- एण्टीबायोटिक औषधियों के प्रति प्रतिरोधकता इन औषधियों के प्रयोग के कारण ही उत्पन्न होती है। किसी रोग के उपचार के लिए हम जितना ही अधिक एण्टीबायोटिक औषधियों का प्रयोग करते हैं, रोग का जीवाणु उतना ही अधिक दवा के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेता है। उदाहरण के लिए एस्चेरिया कोली (E.Coli) नामक बैक्टीरिया ने इसके उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली एण्टीबायोटिक औषधि सेफलोस्पोरिन (Cephalosporins) के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली है। फलस्वरुप इस जीवाणु के कारण होने वाले रोग का उपचार और अधिक कठिन हो जाएगा।
- एण्टीबायोटिक औषधियों के अविवेकपूर्ण उपयोग अर्थात किस में किस एण्टीबायोटिक औषधि का प्रयोग होना चाहिए, बिना इसके निर्धारण, के, औषधि के प्रयोग ने सामान्य रुप से उपचार में की जा सकने वाली बीमारियों को भी गंभीर बना दिया है। यही कारण है कि स्वास्थ्य पर लोगों के खर्च में निरंतर वृद्धि होती जा रही है तथा समाज के संसाधनों का अपव्यय हो रहा है।

F.19.भारत और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (INDIA and MDG)

- भारत ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के स्वास्थ्य से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। देश पांच वर्ष से कम के बच्चों की मृत्यु दर को काफी हद तक कम करने में सफल रहा है। जहाँ यह वर्ष 1990 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर यह 126 थी वहीँ अभी वर्ष 2013 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 53 है।
- कार्य के लिए आह्वान (कॉल टू एक्शन), नवजात कार्य योजना, निमोनिया और डायरिया के लिए एकीकृत कार्य योजना से जबरदस्त स्वास्थ्य लाभांश प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना शेष है।
- दुनिया भर में पांच वर्ष की उम्र के करीब छह लाख बच्चे हर वर्ष रोकथाम के उपाय किये जा सकने योग्य कारणों से मरते हैं। ऐसे बच्चों का 21 प्रतिशत भारत में हैं। इन बच्चों में से अधिकतर कुपोषण और संक्रामक रोगों के कारण अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (MDG) क्या हैं?

VISION IAS

- सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी: 2000-2015) अत्यधिक गरीबी के ,उसके सभी आयामों - आय गरीबी, भूख, बीमारी, पर्याप्त आश्रय की कमी, अपवर्जन जैसी समस्याओं के समाधान के साथ साथ लैंगिक समानता, शिक्षा और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना इत्यादि सहित, समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय देशों के समयबद्ध और मात्रा निर्धारित लक्ष्य हैं।इस ग्रह के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य, शिक्षा, आश्रय एवं सुरक्षा के अधिकार भी बुनियादी मानवाधिकार हैं ।

F.20. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना

(Pm Jan Aushadhi Yojna)

- केंद्रीय बजट में सरकार ने घोषणा की कि वह 2016-17 में देश भर में 3,000 जन औषधि स्टोर खोलेगी ।इसके अलावा 2008 में आरम्भ की गयी इस योजना का नाम बदल कर प्रधान मंत्री जन औषधि योजना भी किया गया ।
- जन औषधि केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली ये दवाएं ब्राण्डेड दवाओं की तुलना में कम कीमत की होगी परन्तु ये गुणवत्ता, प्रभावोत्पादकता तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से ब्राण्डेड दवाओं के समान ही होंगी।

जेनेरिक दवाएं

- जेनेरिक दवाएं गैर ब्रांडेड दवाएं होती हैं किंतु चिकित्सकीय मूल्यों के संदर्भ में ये ब्रांडेड दवाओं के समान ही प्रभावी होती हैं । किंतु अपने ब्रांडेड समकक्षों की तुलना में इनका मूल्य काफी कम होता है ।

F.21.आई ए पी हेल्थफोन कार्यक्रम

(IAP Healthphone Programme)

- हेल्थ-फोन कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यूनिसेफ और वोडाफोन इंडिया की साझेदारी में भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी द्वारा शुरू किया गया है।
- यह हेल्थ-फोन कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के समाधान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल जन शिक्षा कार्यक्रम है।
- यह हेल्थ-फोन कार्यक्रम एक सार्वजनिक भागीदारी पहल है जो देश में मोबाइल फोन की बढ़ती पैठ का फायदा उठाकर 13 से 35 वर्ष की उम्र की 6 लाख सेअधिक लड़कियों और महिलाओं तथा उनकेपरिवारों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के तरीकों पर शिक्षित करेगा।
- यह कार्यक्रम पोषण वीडियो श्रृंखला के 4 संपादित वीडियो का व्यापक रूप से वितरण कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। पोषण वीडियो श्रृंखला को 18 भारतीय भाषाओं में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है।
- अगले कदम में, हेल्थ-फोन कार्यक्रम के तहत आशा कार्यकर्ताओं और दाईयों को हेल्थ-फोन विडियो से भरे हुए चिप दिए जायेंगे जिससे वे स्वास्थ्य और पोषण के ज्ञान को महिलाओं, परिवारों और समुदायों के साथ साझा कर सकें।

VISION IAS

G. विविध

G.1 स्वच्छ भारत मिशन

(Swachh Bharat Mission)

- राजघाट, नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ।
- यह एक व्यापक मिशन है जिसमें 2019, महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य है।
- यह मिशन 4041 वैधानिक कस्बों और ग्रामीण भारत को शामिल करता है।

स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य

- खुले में शौच के उन्मूलन।
- सूखे शौचालयों का रूपांतरण फ्लश शौचालय में करना।
- मैला ढोने की परंपरा का उन्मूलन।
- नगरपालिका ठोस कचरे का 100% संग्रह और प्रसंस्करण/निपटान/पुनः प्रयोग/पुनर्चक्रण।
- स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के बारे में लोगों के व्यवहार में एक परिवर्तन।
- साफ-सफाई और इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ सबंध के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता का सृजन करना।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट निपटान प्रणाली के डिजाइन, क्रियान्वित करने और प्रचालन में सहयोग करना।
- पूंजीगत व्यय और स्वच्छता सुविधाओं के संचालन और रखरखाव के खर्च में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुविधा बढ़ाना।

स्वच्छता के उद्देश्य से शुरू हुएइससे पहले के अभियान

- **केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम:** ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और महिलाओं के लिए निजता और गरिमा भी प्रदान करने के लिए 1986 में शुरू किया।
- **पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC):** 1999 में शुरू इस कार्यक्रम में, साफ-सफाई की अवधारणा में व्यक्तिगत स्वच्छता, गृह स्वच्छता, सुरक्षित पानी, कचरा निपटान, मलमूत्र निपटान और अपशिष्ट जल निपटान शामिल कर विस्तृत किया गया था।
- **निर्मल भारत अभियान:** NGP की सफलता से उत्साहित होकर TSC को 2012 में निर्मल भारत अभियान '(एनबीए) नाम दिया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को यह अभियान स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के रूप में शुरू किया गया।

कार्यक्रम के अवयव:

1. शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन
2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
3. राष्ट्रीय स्वच्छता कोश

VISION IAS

स्वच्छ भारत के लिए कुछ पहल:

स्वच्छता के लिए शहरों को रेटिंग किया जाना है

- शहरी विकास मंत्रालय ने 75 प्रमुख शहरों और राज्यों की राजधानियों की रेटिंग करने के लिए स्वच्छता परिदृश्य का एक सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।
- सर्वेक्षण मानकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने के साथ स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों के साथ श्रेणीबद्ध किया गया है।
- ऐसा मन जाता है कि ख़राब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

सर्वेक्षण:

- प्रस्तावित सर्वेक्षण और रेटिंग्स इस वर्ष जनवरी में पूरी हुईं
- यह पहल स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख शहरों और राज्यों की राजधानियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य शुरू किया गया है।
- सम्मिलित मानक

✓ अपशिष्ट प्रबंधन को 60% भार दिया जाएगा

✓ घर में व्यक्तिगत शौचालय और सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय के उपयोग की उपलब्धता

✓ शहर स्तर की स्वच्छता योजना और

✓ सूचना, शिक्षा और व्यवहार बदलने वाली (IEBC) गतिविधियां।

मिशन के समर्थन के लिए नयी टैरिफ नीति:

- नयी टैरिफ नीति के अनुसार सरकार द्वारा शहर के 100 किमी की परिधि में आने वाले बिजली घरों को प्रसंस्कृत अपशिष्ट जल का उपयोग करना और आस-पास के क्षेत्रों के लिए पीने के उद्देश्य से साफ़ पानी छोड़ना अनिवार्य बना दिया है।
- स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों के लिए कचरे से उत्पन्न बिजली खरीदना अनिवार्य होगा।
- इन उपायों से स्वच्छ भारत अभियान को बल मिलेगा।

G.2 स्वच्छ सर्वेक्षण

(Swachh Survekshan)

सुर्खियों में क्यों?

- स्वच्छ भारत मिशन के आकलन के लिए, शहरी विकास मंत्रालय ने "स्वच्छ सर्वेक्षण" मिशन के अंतर्गत 75 शहरों के अध्ययन के आधार पर उनकी रैंकिंग निर्धारित करने का फैसला किया है।
- मिशन को क्रियान्वित करने का कार्य 'भारतीय गुणवत्ता परिषद' को सौंपा गया है।
- इसके अंतर्गत सभी राज्यों की राजधानियों और 53 अन्य शहरों को कवर किया जाएगा।

VISION IAS

मूल्यांकन के लिए मापदंड :

- स्वच्छता और सफाई के निम्नलिखित **छः मापनीय पहलुओं के आधार पर** मूल्यांकन किया जाएगा:
- खुले-में-शौच मुक्त शहर और एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रणनीति।
- सूचना, शिक्षा और संचार व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली संचार गतिविधि।
- साफ़-सफाई, प्रत्येक दरवाजे से अपशिष्ट संग्रहण तथा अपशिष्ट को उपयुक्त स्थल तक पहुचाने वाली परिवहन व्यवस्था (ठोस अपशिष्ट)।
- ठोस कचरे का प्रसंस्करण और निपटान।
- सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था।
- प्रत्येक गृहस्थ के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण।

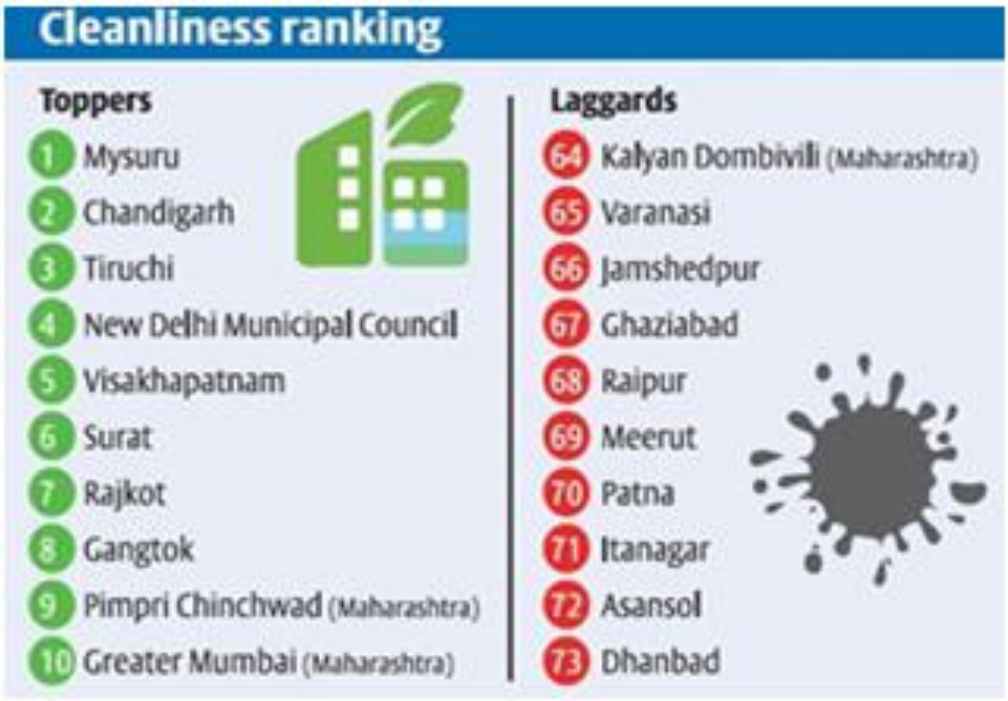

रैंकिंग की गणना:

- 75 शहरों के प्रयासों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कुल 2000 अंकों में से निम्न प्रकार से अंक प्रदान किये जायेंगे:-
- 60 प्रतिशत अंक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मापदंडों के लिए प्रदान किये जायेंगे।
- शौचालयों के निर्माण के लिए 30 फीसदी अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 5 फीसदी अंक शहर स्वच्छता रणनीति और व्यवहार में बदलाव लाने वाली संवाद प्रक्रिया के लिए दिए जायेंगे।
- उपर्युक्त मानकों के आधार पर मैसूर को देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर के रूप में उभर कर सामने आया है। इसके पश्चात चंडीगढ़ और तिरूचि का स्थान है।

- सर्वेक्षण किये गए इन 75 शहरों में से 32 शहरों ने पिछले सर्वेक्षण की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार की है। इनमे से 17 शहर उत्तर भारत के हैं।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India):

- भारतीय गुणवत्ता परिषद को 1997 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय उद्योग के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्ता संवर्धन के क्षेत्र में अनुरूपता मूल्यांकन निकायों और मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना (National Accreditation Structure for conformity assessment bodies and providing accreditation) की स्थापना और प्रचालन करना था।
- यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (ISO 14001 Series) तथा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानकों को बढ़ावा देने तथा उत्पादों के प्रमाणन और निरीक्षण को प्रोत्साहित करती है।
- इसे राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान की निगरानी और इसे संचालित करने का दायित्व सौपा गया है। साथ ही इसे राष्ट्रीय सूचना और पूछताछ प्रणाली से संबंधित सेवाओं को संभालने का भी दायित्व प्रदान किया गया है।

G.3 'नई मंजिल' योजना का शुभारंभ

(Nai Manzil Scheme)

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने **नई मंजिल** नाम की एक नई योजना प्रारंभ की है।
- इस योजना का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना और उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण देना है।
- यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षणिक और आजीविका जरूरतों पर ध्यान देगी। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा क्योंकि इनकी शैक्षणिक स्थिति अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में निम्न है।
- इस योजना का लक्ष्य समूह स्कूल न जाने वाले बच्चे, स्कूल की पढाई बीच में ही छोड़ देने वाले बच्चे और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे होंगें क्योंकि उन्हें दसवीं और बारहवीं कक्षा का औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है जिससे वे संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने में असफल रहते हैं।
- यह योजना सभी अल्पसंख्यक समुदायों के 17-35 आयु वर्ग के लोगों के साथ ही मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों पर ध्यान देगी।

VISION IAS

- यह योजना प्रशिक्षुओं को **'दूरस्थ शिक्षा प्रणाली'** के माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी और उन्हें दसवीं और बारहवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी। साथ ही उन्हें 4 विषयों - निर्माण, इंजीनियरिंग, सेवा, सॉफ्ट स्किल्स में **व्यापार आधार कौशल प्रशिक्षण** प्रदान करेगी।
- यह योजना उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए अवसर प्रदान करेगी और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर खोलेगी।

G.4 मुसीबत में मदद करने वालों की सुरक्षा

(Protecting Good Samaritans)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने आदेश में मुसीबत में मदद करने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इन्हें अनिवार्य बना दिया है।

यह क्या है?

- यह पहल 2012 में सेव लाइफ (SaveLIFE) नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दायर जनहित याचिका पर किया गया है।
- केंद्र ने मुसीबत में मदद करने वालों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। ये वे लोग होते हैं जो सड़क पर किसी दुर्घटना के शिकार या संकटग्रस्त व्यक्ति की मदद के लिए आगे आते हैं।
- जब तक सरकार इस मुद्दे पर कोई कानून नहीं बनाती है तब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन दिशा-निर्देशों को बाध्यकारी बना दिया है।
- दिशा-निर्देशों के अनुसार दुर्घटना के शिकार लोगों की मदद करने वालों के खिलाफ **कोई आपराधिक या सिविल दायित्व आरोपित नहीं किया जाना चाहिए**।
- उनके साथ **सम्मानपूर्वक व्यवहार** किया जायेगा और लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।
- उन पर **स्वयं की पहचान बताने की कोई अनिवार्यता नहीं** होगी और पुलिस द्वारा या अदालत में उनको परेशान नहीं किया जायेगा।

G.5. नस्लीय असहिष्णुता

(Racial Intolerance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बैंगलोर में एक नाराज भीड़ ने तंजानिया की एक महिला और उसके मित्रों पर हमला किया तथा उनकी कार को आग के हवाले कर दिया। ये छात्र एक दुर्घटना स्थल से गुज़र रहे थे जहाँ एक सूडानी छात्र की कार से एक स्थानीय महिला की हत्या हो गयी थी।

VISION IAS

मुद्दे:

- एक धीमी और असंवेदनशील राजनीतिक प्रतिक्रिया तथा पुलिस कार्रवाई की वजह से इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।
- 2014 में हमलों और धमकियों की घटनाओं के पश्चात बैंगलोर से पूर्वोत्तर भारत के लोगों का पलायन हुआ था।
- नस्लीय हमलों ने भारत तथा व्यापार और शिक्षा के गंतव्य शहर – बैंगलोर की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।
- इस तरह की घटनाओं से भारत-अफ्रीका के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, इस क्षेत्र में पहले भी हमें चीनी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह:

- इन मामलों में पुलिस को ना केवल संवेदनशील होना चाहिए बल्कि इस प्रकार के हमलों को रोकने के लिए तत्परता से कार्यवाही भी करनी चाहिए।
- एक संवेदनशील पुलिस और कानूनी तंत्र, महिलाओं, दलितों, पूर्वोत्तर या अफ्रीका के नागरिकों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- विश्वास बहाली के उपायों के माध्यम से अफ्रीकी छात्रों को उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त किया जाना चाहिए।

G.6 सभी के लिए आवास मिशन के अंतर्गत प्रथम परियोजना

(First project under Housing for All Mission)

- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शहरी क्षेत्रों में किफायती आवासीय परियोजनाओं लेने के लिए छत्तीसगढ़ को मंजूरी दे दी है।
- राज्य सरकार 11 शहरों में लोगों के लिए वहनीय आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा है। योजना का लाभ निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को दिया जाएगा।
- 35 प्रतिशत आवासों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EWS) के लिए सुरक्षित रखने की योजना है|

G.7 राष्ट्र और राष्ट्रवाद

(Nation and Nationalism)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में हुए जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय विवाद ने राष्ट्रवाद पर बहस को आगे ला दिया है।
- यह बहस अफजल गुरु (एक आतंकवादी) की फांसी की बरसी मनाने के लिए जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ छात्रों द्वारा “भारत-विरोधी” नारेबाजी से शुरू हुई।

VISION IAS

राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर?

- "राष्ट्र-राज्य" और "राष्ट्रवाद" की अवधारणा एक अपेक्षाकृत आधुनिक घटना है जो कि **17वीं सदी यूरोप के वेस्टफेलिया की संधि से शुरू** हुई।
- इतिहास से पता चलता "राष्ट्र-राज्य" एक प्राकृतिक इकाई नहीं, बल्कि एक कृत्रिम अवधारणा है जिसे राष्ट्र-राज्यों की संप्रभुता की पहचान करने के लिए बनाया गया है।
- राष्ट्र एक मानसिक रचना है जो भ्रातृत्व की भावना में परिलक्षित होती है। **राज्य एक राजनीतिक रचना** है, जिसके चार तत्व होते हैं क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता।
- एक राष्ट्र और दो राज्य हो सकते हैं जैसे- कोरिया, या एक राज्य और दो राष्ट्र हो सकते है जैसे- श्रीलंका, या एक राज्य और एक राष्ट्र जैसे – जापान, या एक राज्य और कई राष्ट्र जैसे- भारत।

It is the first such policy of its kind in the country and comes a year and a half after the Supreme Court ruled in April 2014 that the 'third gender' should be legally recognised; that TGs have the right to decide their self-identified gender; and that TGs should be treated as socially and educationally backward classes and reservations extended to them in education and jobs

While Tamil Nadu, Maharashtra and West Bengal have Transgender Welfare Boards, **Kerala's policy goes beyond welfare and favours a rights-based approach**

The policy was preceded by an **extensive survey of over 4,000 TGs in Kerala**

It proposes criminal and disciplinary action against the police in cases of violation of TGs' human rights at a time when Section 377, the draconian law that has been used to harass TGs and homosexuals, is still in place

It seeks to make laws against gender-based violence TG-friendly. In April this year, the Rajya Sabha passed the Right of Transgender Persons Bill, 2014, but is yet to be approved by the Lok Sabha

G.8 ट्रांसजेंडर नीति

(Transgender Policy)

चर्चा में क्यों?

केरल देश का पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडरर्स के लिए नीति बनायी है।

केरल की ट्रांसजेंडर नीति

- यह नीति लैंगिक अल्पसंख्यक समूहों के बारे में सामाजिक कलंक को ख़त्म कर उनके साथ भेदभाव-मुक्त व्यवहार सुनिश्चित करने की परिकल्पना करती है।

- उच्चतम न्यायालय के 2014 के निर्णय और केरल राज्य के हालिया ट्रांसजेंडरर्स सर्वे के परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह नीति ट्रांसजेंडरर्स के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए बनायी गयी है।
- यह नीति हर वर्ग के ट्रांसजेंडरर्स को समाविष्ट करती है- पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स लोगों को शामिल करती है।
- यह नीति उच्चतम न्यायालय के निर्णय में वर्णित अल्पसंख्यक समूहों को पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में स्वयं की पहचान के अधिकार पर बल देती है।
- यह नीति ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक व आर्थिक अवसरों, संसाधनों और सेवाओं की समान उपलब्धता, कानून के तहत समान व्यवहार का अधिकार, हिंसा के बगैर जीवन का अधिकार और सभी निर्णयकारी संस्थाओं में समान अधिकार सुनिश्चित करती है।
- यह नीति ट्रांसजेंडर न्याय बोर्ड के गठन की अनुसंशा करती है जिसके अध्यक्ष राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री होंगे।

G.9 पुनर्वास योजना का पुनर्गठन

(Revamp of Rehabilitation Scheme)

- मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति या किसी भी प्रकार के बलात श्रम में फंसें बच्चों, ट्रांसजेंडर और अन्य लोगों को मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने सहायता राशि को 20,000 रूपए से बढ़ाकर 3 लाख रूपए करते हुए मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए **<u>पुनर्वास योजना में बड़े सुधार</u>** का प्रस्ताव किया है।
- इसके साथ ही, त्रिस्तरीय पुनर्वास वित्त पोषण योजना आरंभ करने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है।
- इस योजना के अंतर्गत मुक्त कराए गए ट्रांसजेंडर या दिव्यांग व्यक्ति को 3 लाख रूपए, महिलाओं या बच्चों को 2 लाख रूपए और वयस्क पुरुषों को 1 लाख रूपए मिलेंगे।
- धन का सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, नियत मासिक जमा के रूप में मुक्त कराए गए व्यक्तियों के बैंक खातों में पुनर्वास राशि का एक बड़ा भाग जमा किया जाएगा।
- नई प्रणाली के अंतर्गत कलेक्टर मुक्त कराए गए मजदूरों पर दृष्टि रखने में सक्षम होंगे क्योंकि उन्हें प्रत्येक महीने पैसे की जमा पर्ची पर हस्ताक्षर करना होगा।

बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

- वर्तमान में, कार्यकारी मजिस्ट्रेट बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करने और बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तथा उक्त अपराधों की अविलंब सुनवाई का संचालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।
- इस अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि तक के लिए कारावास और 2000 रुपये तक का जुर्माना सम्मिलित है।

VISION IAS

G.10 सामजिक नवोन्मेष

(Social Innovation)

इसका सन्दर्भ **गुणवत्ता, न्याय और पर्यावरण को ध्यान में रखकर सामाजिक चुनौतियों के नए हल** से है।

उप-राष्ट्रपति ने सामाजिक नवोन्मेष पर तीसरे राष्ट्रीय सेमिनार का पुणे में उद्घाटन किया।

भारत में सामाजिक नवोन्मेष के उदहारण: स्वयं-सहायता समूह, सहकारिता, लघु-वित्त समुदाय, दूरस्थ शिक्षा, सामुदायिक अदालतें- नए विचार जो आवश्यकताओं और लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए काम करते हैं।

महत्व

- सामाजिक नवोन्मेष सामाजिक उद्यमशीलता, व्यापारिक जुड़ाव और परोपकार के बारे में संकुचित सोच से बाहर निकलने और विभिन्न कारकों व हितधारकों की परस्पर-संबद्धता को पहचानने का अनूठा अवसर देता है।
- सामाजिक शक्ति संरचना को बदलने में मदद करता है।
- आर्थिक विकास के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने में मदद करके दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए सामाजिक नवोन्मेष काफी महत्वपूर्ण होता है जो मानव संबंधों को नुकसान के बजाय कल्याण करता है।
- यह ऐसे नए बाज़ारों का सृजन करता है, जिन्हें सामाजिक समाधान की आवश्यकता होती है।
- सीमांत जनसंख्या को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद प्रदान करता है।
- अंततोगत्वा, यह नवोन्मेष प्रक्रिया में केवल लोगों को गतिशील कर सहयोग ही नहीं देता बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक समानता को बढ़ावा भी देता है।

G.11 मानव विकास रिपोर्ट 2015

(Human Development Report 2015)

- 2015 की मानव विकास रिपोर्ट, 2015 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा दिसंबर 2015 में जारी किया गया।

पृष्ठभूमि

- पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा वर्ष 1990 में जारी की गयी थी।
- यह अर्थशास्त्री महबूब उल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा विकसित की गयी थी।

VISION IAS

- मानव विकास रिपोर्ट सोच में आये एक बदलाव का परिणाम था जिसमें राष्ट्रीय प्रगति के मौद्रिक संकेतकों (जैसे GDP) के स्थान पर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मानव विकास के व्यापक संकेतकों को ध्यान में रखा जाता है।

मानव विकास के तीन आयाम

- **जीवन स्तर:** इसकी गणना प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से की जाती है।
- **स्वास्थ्य:** इसकी गणना जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से की जाती है।
- **शिक्षा**: इसकी गणना वयस्क आबादी के बीच स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों के माध्यम से की जाती है।

मानव विकास रिपोर्ट क्या है?

- यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली एक रिपोर्ट है जिसमें दुनिया के विकास के प्रमुख मुद्दों, प्रवृत्तियों और नीतियों पर चर्चा शामिल रहती है।
- इसके अलावा यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों की वार्षिक रैंकिंग भी प्रदान करती है।

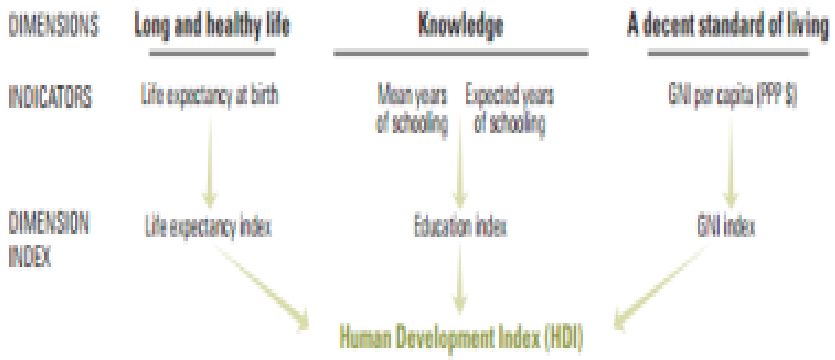

- <u>मानव विकास रिपोर्ट में चार अन्य सूचकांक भी शामिल हैं:</u>

✓ **असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक**: यह देश में स्थित असमानता के आधार पर मानव विकास सूचकांक की गणना करता है।

✓ **लैंगिक विकास सूचकांक**: यह महिला और पुरुष मानव विकास सूचकांकों की तुलना करता है।

✓ **लैंगिक असमानता सूचकांक**: यह प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार के आधार पर लैंगिक असमानता का एक समग्र आंकलन प्रस्तुत करता है।

✓ **बहुआयामी निर्धनता सूचकांक**: यह गरीबी के गैर-आय आयामों (non-income dimensions) का आंकलन करता है।

2015 की मानव विकास रिपोर्ट के मुख्य अंश:

- इस रिपोर्ट के अंतर्गत 188 देशों और क्षेत्रों का अध्ययन शामिल है।
- इसके अनुसार 'कार्य' एक मौलिक कारक है जो मानव क्षमता को बढ़ाता या घटाता है।

VISION IAS

- यह "कार्य (work)" और "नौकरी (job)" के बीच अंतर बताती है। कार्य (work) के बदले कुछ मिलना जरुरी नहीं, परन्तु नौकरी (job) एक पूर्व निर्धारित भुगतान के लिए किया जाता है। इन दोनों के मौद्रिक मूल्यांकन में अंतर असमानता को बढ़ाता है।
- नॉर्वे 0.944 के मान के साथ इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है।
- उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क का स्थान है।
- अमेरिका 8वें स्थान पर है और चीन 90वें स्थान पर है।
- पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रमश: 147वें और 142वें स्थान पर हैं।
- श्रीलंका का स्थान 73वां है और वह उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों के दायरे में आता है।
- भारत का स्थान नामीबिया, तजाकिस्तान, ग्वाटेमाला और यहां तक कि इराक जैसे देशों से भी नीचे है।

भारत

मानव विकास सूचकांक: भारत 0.609 के मान के साथ 130वें स्थान पर है और मध्यम विकसित देशों की श्रेणी में आता है। जबकि अति उच्च मानव विकास वाले देशों का औसत 0.896 है।

स्वास्थ्य: भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68 वर्ष है जबकि अति उच्च मानव विकास वाले देशों में इसका औसत 80.5 वर्ष है।

शिक्षा: भारत में स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष 11.7 वर्ष हैं जबकि अति उच्च मानव विकास वाले देशों में इसका औसत 16.4 वर्ष है।

- भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 5.4 वर्ष हैं, जबकि अति उच्च मानव विकास वाले देशों में इसका औसत 11.8 वर्ष है।

प्रगति: 2009 से 2014 तक मानव विकास सूचकांक में भारत का मान छह अंक बढ़ा है।

- भारत की रैंकिंग में सुधार शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार से नहीं बल्कि **आय में वृद्धि के माध्यम से** हुआ है।

असमानता: भारत का **असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक** 0.609 से 0.435 होकर 28% कम हुआ है। यही समान प्रवृत्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी देखी गयी है।

लैंगिक असमानता: भारत के लैंगिक विकास सूचकांक का मान 0.795 है और इसमें भारत का स्थान बांग्लादेश (0.917) से भी नीचे है।

- भारत के लैंगिक असमानता सूचकांक का मान 0.563 है और यह 155 देशों में 130वें स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है।

VISION IAS

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक: 2005-06 में भारत की 55.3 प्रतिशत आबादी बहु-आयामी निर्धनता से ग्रसित थी, जबकि 18.2 प्रतिशत आबादी बहुआयामी निर्धनता के करीब जीवन यापन करती थी।

मातृ मृत्यु दर: भारत में मातृ मृत्यु दर 190 है (प्रति 100000 जीवित जन्मों पर), जबकि अति उच्च मानव विकास वाले देशों में इसका औसत 18 है।

शिशु मृत्यु दर: 2013 में भारत में शिशु मृत्यु दर 41.4 थी (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर) जबकि अति उच्च मानव विकास वाले देशों में इसका औसत 5.1 है।

पिछले संस्करणों के साथ वर्ष 2015 की रिपोर्ट की तुलना

- वर्ष 2015 की रिपोर्ट में वर्ष 2011 की क्रय शक्ति समता आँकड़ों (PPP Data) का उपयोग किया गया है, जबकि पिछली रिपोर्टों में वर्ष 2005 के आंकड़ों का इस्तेमाल किया था। इस वजह से पिछली रिपोर्टों में रैंकिंग भ्रामक थी।
- इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी आबादी के नए आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इस वजह से देशों की रैंकिंग प्रभावित हुई है।

G.12 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2015

(Global Hunger Index 2015)

- **International Food Policy Research Institute (IFPRI), द्वारा जारी किया जाता है**। यह भूख की समस्या को नियंत्रित करने वाले कार्यक्रमों की सफलता अथवा असफलता के आकलन का पैमाना है। GHI विश्व में भुखमरी की पृष्ठभूमि में निहित कारणों का पता लगाता है।
- यह विभिन्न देशों और क्षेत्रों के बीच भूख की स्थिति में अंतर को प्रदर्शित कर भुखमरी की समस्या में कमी लाने के प्रयास के लिए प्रेरित करता है।
- GHI 100 बिन्दुओं के आधार पर बने पैमाने पर देश की रैंकिंग प्रदान करता है जिसमें शून्य (Zero) सबसे अच्छी स्थिति है (भुखमरी की अनुपस्थिति) जबकि 100 सबसे बुरी स्थिति। यद्यपि किसी देश को सबसे ख़राब और सबसे अच्छी स्थिति नहीं प्रदान की गयी है।
- GHI का उद्देश्य भुखमरी की बहुआयामी प्रकृति को प्रदर्शित करना है। इसके लिए यह चार मुख्य घटकों पर विचार करती है :

VISION IAS

1. **अल्पपोषण (Undernourishment):** जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अल्पपोषित का समानुपात जिन्हें आवश्यकता से कम कैलोरी पदार्थ प्राप्त होती है। (वजन=1/3)
2. **बच्चों का लम्बाई की अपेक्षा अपर्याप्त भार (wasting):** पांच वर्ष से कम आयु के अपर्याप्त भार वाले शिशुओं का, पर्याप्त भार वाले शिशुओं की कुल संख्या के अनुपात में कम है। यह गंभीर कुपोषण को प्रदर्शित करता है।(वजन=1/6th)
3. **अपर्याप्त वृद्धि वाले बालक (Child Stunting):** यह पांच वर्ष से कम आयु के अपर्याप्त वृद्धि वाले शिशुओं का अनुपात है (इन बालकों का अपने आयुसमूह के अनुसार कम लम्बाई होने की स्थिति है)। (वजन=1/6th)
4. **शिशु मृत्यु दर (Child Mortality):** यह पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर है।(आंशिक रूप से अपर्याप्त आहार का सेवन और अस्वास्थ्यकर वातावरण के घातक तालमेल को दर्शाता है) (वजन=1/3rd)

- वैश्विक भूख सूचकांक के संदर्भ में भारत 63 से 55 वें स्थान पर आ गया है। अर्थात भारत की स्थिति में 8 स्थानों का सुधार हुआ है। किंतु अधिक शिशु मृत्यु दर तथा अल्पपोषण की समस्या सामाजिक संदर्भ में अभी भी खतरनाक संकेत दे रही है।

G.13 भारत में जनसंख्या पर UN रिपोर्ट

(UN Report on Population in India)

- संयुक्त राष्ट्र की संशोधित विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2015 के अनुसार, भारत 2022 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने की राह पर अग्रसर है। रिपोर्ट के पूर्ववर्ती संस्करण में कहा गया था कि जनसँख्या के दृष्टीकोण से भारत वर्ष 2028 तक चीन से आगे निकल जाएगा।
- ये अनुमान 2015 और 2050 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी की भविष्यवाणी करते हैं जबकि चीन के बारे में उसकी जनसंख्या वृद्धि के एक समान रहने का अनुमान लगाया गया है, और बाद में उसमे गिरावट का अनुमान है।
- भारत की जनसंख्या के 2030 तक 1.5 बिलियन और 2050 तक इसके तीव्र गति से बढ़ते हुए 1.7 बिलियन होने का अनुमान है।
- देश की जनसंख्या, इसकी प्रजनन दर में गिरावट के बावजूद मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ज्यादातर युवा लेकिन निर्धन जनसंख्या के कारण बढ़ेगी।

VISION IAS

- आने वाले दशकों में भारत के अपेक्षाकृत युवा देश बने रहने की आशा है। **2015 में इसकी माध्य उम्र 26.6 वर्ष** है और यह बढ़कर 2030 तक 31.2 वर्ष, 2050 तक 37.3 वर्ष और 2100 तक 47 वर्ष हो जाएगी।
- जनसंख्या दबाव का अर्थ यह है कि देश को तनाव से निपटने की तैयारी करनी है, साथ ही भारत के "जनांकिकीय लाभांश" का फायदा उठाने की तैयारी करनी है, जिसका आशय देश की जनसंख्या में वृद्धों की अपेक्षा युवा एवं नियोजनशील व्यक्तियों की अधिक जनसंख्या के सकारात्मक परिदृश्य से है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
CSE 2013
CSE 2014
GAURAV AGRAWAL
AIR-1
NIDHI GUPTA
AIR-3
VANDANA RAO
AIR-4
SUHARSHA BHAGAT
AIR-5
AIR-1
TINA DABI
AIR-4
ARTIKA SHUKLA
AIR-6
ASHISH TIWARI
AIR-5
SHASHANK TRIPATHI
AIR-9
KARN SATYARTHI
Interview Guidance Prog
Foundation Course
All India PRELIMS MAINS Test Series
PT 365: 1 year Current Affairs Prog